



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245316
CG-DL-E-22042023-245316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]
No. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2023

नियम

सं. ए-12011/1/2023-सीएचएस-1. मंत्रालयों/संबंधित विभागों, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका की सहमति से निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में आयोजित की जाने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:

श्रेणी – I

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ड्यूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी

श्रेणी – II

- रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी।
- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी
- दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II।

सभी उम्मीदवारों (महिला/पुरुष/ट्रान्सजेंडर) से अनुरोध है कि वे इन नियमों और इस नियमों से तैयार किए गये संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नोटिस को ध्यान से पढ़ लें।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट-I में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की तारीख (तारीखें) और स्थान आयोग द्वारा नियत किए जायेंगे।

2. उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक अथवा एक से अधिक में भाग ले सकते हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेंगे, उन्हें अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उन सेवाओं/पदों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा जिनके लिए वे वरीयता क्रम में विचार करने के इच्छुक हों। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जितनी वरीयता चाहें दे सकते हैं जिससे कि नियुक्त करते समय उनकी वरीयता पर उनके रैंक के अनुसार उचित विचार किया जा सके। अपनी वरीयताओं का उल्लेख करते समय उम्मीदवारों को सर्वप्रथम, निम्नांकित नियम 5(क) तथा 5 (ख) की शर्तों के अनुसार दो श्रेणियों के पदों/ सेवाओं के लिए अपनी पात्रता को ध्यान में रखते हुए, श्रेणी-I तथा श्रेणी-II में से अपना विकल्प चुनना होगा। इसके बाद उम्मीदवार श्रेणी-II के अंतर्गत आने वाली सेवाओं/ पदों के लिए भी अपनी वरीयताओं का उल्लेख करेंगे। आयोग द्वारा उम्मीदवारों की अनुशंसा, विस्तृत आवेदन प्रपत्रों में उनके द्वारा श्रेणियों के संबंध में दी गई वरीयता, योग्यताक्रम तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

(i) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियम 5(क) तथा 5 (ख) की शर्तों के अनुसार श्रेणियों तथा सेवाओं के लिए अपनी वरीयताएं देने से पहले ध्यानपूर्वक इन दोनों श्रेणियों के लिए अपनी पात्रता की जांच कर लें।

(ii) उम्मीदवार द्वारा अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में पहले से दी गई वरीयताओं को बढ़ाने/बदलने के किसी भी अनुरोध को आयोग/स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(i) उम्मीदवार को एक बार संवर्ग आवंटित करने के बाद उसे बदलने के किसी भी अनुरोध को आयोग/स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जायेगा।

4. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता

उम्मीदवार को या तो :

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(2) नेपाल की प्रजा, या

(3) भूटान की प्रजा, या

(4) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थाई रूप में रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(5) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जेरे और वियतनाम से आया हो :

परंतु (2), (3), (4) और (5) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए; परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है; परंतु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. (क) आयु-सीमा : इस परीक्षा में बैठने वाले- उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 2023 तक 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1991 के पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ङ्कूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए 1 अगस्त, 2023 को अधिकतम आयु सीमा 35 (पैंतीस वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में निम्न प्रकार छूट प्राप्त है :

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र है;

(3) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो किसी अन्य देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों;

(4) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों और आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली अगस्त, 2023 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर, अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 2023 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(5) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के पांच वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पहली अगस्त, 2023 तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से आगे बढ़ाया गया है तथा जिसके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र जारी करना होगा कि सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा;

(6) (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग (ई) विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, के 34 की धारा 2016 प्रावधानों के अनुसार अ से द के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक।

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 5(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं तथा दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता आदि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी-2 प्रत्येक सेवा हेतु प्रकार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) और शारीरिक अपेक्षाओं (पीआर) का ब्यौरा इन नियमों के परिशिष्ट IV में दिया गया है जो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा निर्दिष्ट तथा निर्धारित किए गए हैं। विकलांग व्यक्ति श्रेणी के अंतर्गत केवल उसी/ उन्हीं विकलांगता(ओं) की श्रेणी (श्रेणियों) वाले उम्मीदवार परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे जिनका उल्लेख परिशिष्ट-IV में किया गया है। इसलिए, विकलांग श्रेणी वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें।

टिप्पणी 3: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय—समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी 4: नियम 5 (ख) (4) तथा (5) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।"

टिप्पणी 5: उपर्युक्त नियम 5(ख) (6) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्घरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्घरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुच्छेद के इस भाग में आये “मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा” प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 1: उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2: उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद इसमें या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में/टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 5 (3) में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि यह एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाता है, जैसा कि आयोग द्वारा अपने परीक्षा के नोटिस में अधिसूचित किया गया है।

6. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार फाइनल एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिक भागों में उत्तीर्ण हो।

टिप्पणी 1: वह उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है जिसने फाइनल एम.बी.बी.एस परीक्षा दे दी है या जिसको अभी देनी है। यदि ऐसे उम्मीदवार अन्यथा पात्र हुए तो उन्हें उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा परंतु उसका प्रवेश अनन्तिम रहेगा तथा फाइनल एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिक भागों को उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण, विस्तृत आवेदन-पत्र के, जो उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2023 के विस्तृत आवेदन फार्म-I भरे जाने की अंतिम तारीख तक जारी किया गया होना चाहिए।

टिप्पणी 2: उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए वह भी शैक्षिक रूप से पात्र है जिन्हें अभी भी अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनशिप पूरी करनी है, किंतु चयन हो जाने पर उन्हें अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनशिप पूरी करने के बाद ही नियुक्त किया जाएगा।

7. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना होगा।

8. सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों, या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए, अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो आवेदन-प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थायी हैसियत में काम कर रहे हों, या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं या लोक-उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवर्चन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन दिया है।

उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनकी नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से परीक्षा में बैठने संबंधी अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. उम्मीदवार के आवेदन-पत्र और उसकी पात्रता को स्वीकार करने या परीक्षा में प्रवेश आदि के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात्- लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. किसी भी उम्मीदवार को आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

11° जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

11 (1) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा स्वयं अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

किंतु शर्त यह है कि यदि आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के पर्याप्त उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

13(1) साक्षात्कार के उपरांत, आयोग, उम्मीदवारों की रैंकिंग/वरीयताओं तथा रिक्तियों के आधार पर दो अलग-अलग मेरिट सूचियां तैयार करेगा अर्थात् एक सूची श्रेणी-I के लिए होगी, जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य झूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के पद शामिल होंगे, और दूसरी सूची श्रेणी-II के लिए होगी, जिसमें गैर-सीएचएस के पद शामिल होंगे (अर्थात् रेल मंत्रालय, नई दिल्ली महानगरपालिका, दिल्ली नगर निगम)। परिणाम तैयार करने हेतु आयोग, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम तौर पर प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की सूची बनाएगा। तत्पश्चात्, आयोग, उम्मीदवारों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग योग्यताक्रम में उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगा। इस परीक्षा के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की अनुशंसा के प्रयोजन से आयोग, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य शेष सेवाओं/ पदों की अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अलग-अलग अर्हक अंक (जिसे आगे सामान्य अर्हक मानदंड कहा जाएगा) निर्धारित करेगा। इस परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के प्रति अनुशंसित करने के प्रयोजन से आयोग इनमें से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में शिथिल अर्हक मानदंड निर्धारित कर सकता है।

वशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपयोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा, बल्कि सर्वप्रथम इन्हें आयोग द्वारा अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाएगा।

नोट: बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के तहत आने वाले पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध स्क्राइब और प्रतिपूरक समय की सुविधा तथा मेडिकल फिटनेस के संबंध में ऐसे उम्मीदवारों की दिव्यांगता, जिससे वे पीडित हैं, को छूट/रियायत नहीं माना जाएगा।

(2) सेवा आवंटन के समय, श्रेणी-II में सेवाओं/पदों के लिए अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जा सकता है यदि इस प्रक्रिया के जरिये वे अपने अधिमान के क्रम में उच्चतर विकल्प की सेवा को प्राप्त करते हैं।

(3) श्रेणी-II के अंतर्गत आने वाली सेवाओं/पदों की मेरिट सूची तैयार करने के मामले में आयोग, अर्हक मानदंडों को और भी कम कर सकता है ताकि इस नियम के प्रावधानों के परिणामस्वरूप, अनारक्षित रिक्तियों के प्रति नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की कमी न हो और आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवार सरप्लस न हों, इसे ध्यान में रखते हुए आयोग, उप-नियम (4) तथा (5) में यथानिर्धारित विधि से अपनी अनुशंसा कर सकता है।

(4)(क)(1) श्रेणी-II के अंतर्गत आने वाली सेवाओं/पदों हेतु उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय आयोग, सर्वप्रथम केवल श्रेणी-II की रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखेगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से उस संख्या की कटौती की जाएगी जितनी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, सक्षम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के ऐसे उम्मीदवार इन पदों हेतु सामान्य अर्हक मानदंडों के बराबर या इससे अधिक मेरिट प्राप्त करेंगे, जिन्होंने उप नियम(1) के प्रावधानों के तहत पात्रता या चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की रियायत या शिथिलता का लाभ नहीं लिया हो।

(4)(क)(2) (4)(क)(2) उपनियम (4)(क)(1) में परिभाषित पद्धति का प्रयोग करते हुए, उन पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए रिक्ति(यों) को सुरक्षित रखने हेतु यथोचित विचार किया जाए जिनकी आरक्षित सूची से अनुशंसित होने की संभावना है तथा यदि

अपेक्षित हो तो अनुशंसित उम्मीदवारों की कुल संख्या को उपनियम (4)(क)(1) के अनुसार कटौती करने के साथ-साथ उपयुक्त रूप से घटा दिया जाएगा।

(4)(ख) केवल श्रेणी-II की सेवाओं/पदों हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची के साथ-साथ आयोग, उम्मीदवारों की एक समेकित आरक्षित सूची भी बनाएगा, जिसमें सामान्य, आरक्षित श्रेणियों तथा पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के बाद योग्यताक्रम में आने वाले उम्मीदवार शामिल होंगे। आयोग द्वारा उप-नियम 5 के मामलों में सिफारिशों की प्रक्रिया के अंतिम निष्कर्ष निकलने तक अनुशंसित आरक्षित सूची गोपनीय रखी जाएगी। इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणियों तथा पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उप-नियम (1) तथा उपनियम (4)(क)(2) के आलोक में अनारक्षित रिक्ति(यों) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या में कटौती, यदि कोई हो, के अनुसार पहली सूची में पात्रता में या चयन मापदंड में बिना किसी छूट या रियायत के शामिल किया गया।

(4)(ग) आरक्षित वर्गों से आरक्षित सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, उपनियम (4)(क)(1) तथा (4)(क)(2) के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी में प्रथमतः उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय, प्रत्येक वर्गों में प्रारंभिक रूप से कम की गई रिक्तियों की क्रमिक संख्या के बराबर होगी।

(5) उप-नियम (4) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा श्रेणी-II की सेवाओं/पदों में वे सेवाएं आबंटित की जाएंगी जहां कुछ रिक्तियों को अभी भी भरा जाना बाकी है। सरकार आरक्षित सूची में से योग्यता क्रम में प्रत्येक वर्ग में भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रयोजन हेतु मांग की गई उम्मीदवारों की संख्या की अनुशंसा करते हुए आयोग को अध्याचना प्रेषित कर सकती है।

(6) आयोग द्वारा श्रेणी-I के अंतर्गत कोई समेकित आरक्षित सूची नहीं रखी जाएगी क्योंकि उपरोक्त उप नियम (2), (3), (4) तथा (5) के प्रावधान, श्रेणी-I के अंतर्गत उम्मीदवारों के आबंटन के मामले में लागू नहीं होते।

14. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नियम 12 तथा 13 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों में आयोग अपने विवेक से छूट दे सकता है:

15. परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से उनका परीक्षा परिणाम किस प्रकार और किस रूप में सूचित किया जाए उसका निर्णय आयोग स्वयं अपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के संबंध में उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16. इन नियमों में उल्लिखित अन्य उपबंधों के अधीन सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के क्रम से तैयार की गई सूची और इनके द्वारा अपने आवेदन पत्रों में विभिन्न पदों के लिए बताई गई वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा।

17. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पूछताछ के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के आधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए यह भी एक शर्त होगी कि उसके अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनिशिप सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो।

18. उम्मीदवार को मन और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई भी शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो उक्त सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करने में बाधक सिद्ध हो सके। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसकी नियुक्ति नहीं होगी। उम्मीदवारों की शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा से संबंधित विनियम नियमावली के परिशिष्ट-III में दिए गए हैं। मेडिकल परीक्षा के लिए एक मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट प्रारूप परिशिष्ट - VIII में दिया गया है।

सभी उम्मीदवार जो परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सामान्यतः संबंधित उम्मीदवार के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के दिन के तत्काल बाद अगले कार्य-दिवस को चिकित्सा परीक्षा करवानी होगी (शनिवार, रविवार व अवकाश के दिनों में चिकित्सा परीक्षा नहीं होगी)। चिकित्सा परीक्षा का प्रबंध उम्मीदवार का वक्ष का एकसरे सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा उम्मीदवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को अपने स्वास्थ्य परीक्षा के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है तो उसे अपना साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण पूरा होने के तत्काल पश्चात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए। संबंधित उम्मीदवार को अपनी स्वास्थ्य परीक्षा के पूरा होने तक दिल्ली में ठहरना होगा। इसलिए उम्मीदवार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए तथा स्वास्थ्य परीक्षा की औपचारिकता को पूरा करने के लिए दिल्ली में अपने रहने की व्यवस्था का प्रबंध कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षा के लिए निर्धारित की गई तारीख को किसी भी परिस्थिति में

बढ़ाया/बदला नहीं जाएगा, इसके साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षा की औपचारिकता को पूरा करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

नियुक्ति हेतु फिट पाए जाने के लिए उम्मीदवार को मानसिक तौर पर और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं हो जिसके कारण, सेवा के अधिकारी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आने की संभावना हो। ऐसे उम्मीदवार, जो सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसे चिकित्सा परीक्षण के बाद इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसा उम्मीदवार जिसके मामले में चिकित्सकीय फिटनेस की दृष्टि से कुछ सेवाओं के संबंध में विचार नहीं किया गया है और उनकी बारी आने पर कोई रिक्ति शेष नहीं रहती है, उस उम्मीदवार को ऐसी कोई सेवा आबंटित नहीं की जाएगी जिसके लिए वह फिट नहीं है और जहां रिक्तियां भी उपलब्ध हैं। जिन उम्मीदवारों को परिशिष्ट-III में निर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, आबंटन प्रक्रिया में उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों से शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं, जैसा परिशिष्ट IV में दिया गया है, में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी।

20. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में है। इस बात के होते हुए भी, एकाधिक विकलांगताओं वाले उम्मीदवार केवल श्रेणी (ड.)- विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) की श्रेणी के (ड.) के तहत ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे तथा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की इनमें से किसी भी श्रेणी में 40% और इससे अधिक विकलांगता होने के कारण किसी भी अन्य विकलांगता श्रेणी अर्थात् विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) (क) से (घ) श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते, कि बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (सक्षमताओं/अक्षमताओं) के संबंध में उन विशेष पात्रता मापदंड को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो इसके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अभिज्ञात सेवा/पद के अपेक्षाओं की संगत हों। शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यात्मक वर्गीकरण वाली सेवाओं की एक सूची परिशिष्ट - IV पर है।

21. एक अभ्यर्थी केवल सामुदायिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, विशेष अभ्यर्थियों के लिए, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो।

संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2023 के लिए अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के दौरान की आय के आधार पर अ.पि.व.(नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण-पत्र 01.04.2023 को / उसके पश्चात् (वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्ण होने के उपरांत) परंतु सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा -2023 हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख के बाद जारी नहीं हुआ हो।

यदि कोई उम्मीदवार सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./ अ.ज.जा. या अ.जा./ अ.ज.जा. को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत परीक्षा के सामान्य मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग/सरकार द्वारा यथानिर्धारित) करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानदंडों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करने के मामले में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाएगा अर्थात् बेंचमार्क विकलांगता की एक उप-श्रेणी वाले उम्मीदवार (PwBD) को बेंचमार्क विकलांगता की दूसरी उप-श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के समय के बीच 3 महीने से अधिक अंतर न हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मैरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क विकलांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह संशोधित विकलांगजन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे शारीरिक विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

22. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंच मार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करते समय, ऐसे लाभों के लिए नियमावली/नोटिस में यथानिर्दिष्ट किए अनुसार, उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अंतिम तारीख तक मौजूद होने चाहिए।

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह प्रमाण-पत्र 01.04.2023 को / उसके पश्चात् (वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्ण होने के उपरांत) परंतु सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा-2023 हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख के बाद जारी नहीं हुआ हो।

23. कोई व्यक्ति :-

- (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित है, वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है, या
(ख) पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबद्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के और भी आधार मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

24. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों में भर्ती की जानी है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट - II में दिया गया है।

परिशिष्ट -I

परीक्षा की योजना

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:-

भाग-I

लिखित परीक्षा - (500 अंक) :

आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटों की अवधि का होगा।

भाग-II

व्यक्तित्व परीक्षण: (100 अंक) :

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका 100 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण होगा।

(क) लिखित परीक्षा :

1. दोनों प्रश्न पत्रों के घटक और पाठ्यक्रम तथा दोनों प्रश्न पत्रों में विभिन्न घटकों का वेटेज निम्नानुसार है :

प्रश्न पत्र-I

अधिकतम अंक : 250

(कोड नं. 1)

सामान्य आयुर्विज्ञान एवं बालचिकित्सा

प्रश्न पत्र-I में कुल प्रश्न – 120 (96 सामान्य आयुर्विज्ञान तथा 24 बालचिकित्सा से)

प्रश्न पत्र - I का पाठ्यक्रम

(क) सामान्य आयुर्विज्ञान, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) हृदय रोग विज्ञान
- (ii) श्वसन रोग
- (iii) जठरांत्र
- (iv) जनन – मूत्रीय
- (v) तंत्रिका विज्ञान
- (vi) रुधिर रोग विज्ञान
- (vii) अंतः स्रावविज्ञान
- (viii) उपापचयी विकार
- (ix) संक्रमण/संचारी रोग
 - (क) वाइरस
 - (ख) रिकेट्स
 - (ग) बैक्टीरियल
 - (घ) स्पाइरोकेटल
 - (ङ) प्रोटोजोआन जनित
 - (च) मेटाजोआन जनित
 - (छ) फंगस
- (x) पोषण/विकास
- (xi) चर्म रोग (त्वचा रोग विज्ञान)
- (xii) पेशी कंकाल तंत्र
- (xiii) मनोरोग चिकित्सा
- (xiv) सामान्य
- (xv) आकस्मिक चिकित्सा (एमरजेंसी मेडिसिन)
- (xvi) सामान्य विषाक्तन (कॉमन पॉयजनिंग)
- (xvii) सर्पदंश
- (xviii) ट्रॉपिकल मेडिसिन
- (xix) क्रिटिकल केयर मेडिसिन
- (xx) चिकित्सकीय पद्धतियों पर बल (एफेसिस ऑन मेडिकल प्रोसीजर्स)
- (xxi) रोगों का पैथो-फिजियोलोजिकल आधार
- (xxii) टीकों के जरिए रोके जा सकने वाले रोग(वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेस) तथा टीकों के जरिए न रोके जा सकने वाले रोग(नॉन- वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेस)
- (xxiii) विटामिन की कमी से होने वाले रोग

(xxiv) मनोरोगविज्ञान, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- अवसाद(डिप्रेशन), मनोविकृति (साइकोसिस), दुश्चिन्ता (एंग्जाइटी), बाइपोलर रोग तथा मनोविदलता (स्किजोफ्रेनिया)

(ख) बालचिकित्सा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) शैशवकाल की सामान्य आकस्मिकताएं (कॉमन चाइल्डहुड एमरजेंसी),
- (ii) नवजात शिशुओं की बुनियादी देखभाल(बेसिक न्यूबॉर्न केयर),
- (iii) विकासक्रम के सामान्य चरण (नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स),
- (iv) बच्चों के मामले में दुर्घटनाएं और विषाक्तन (एक्सीडेंट एंड पॉयजनिंग इन चिल्ड्रन),
- (v) जन्मजात विकृतियां तथा काउंसलिंग, जिसमें ऑटिज्म शामिल है,
- (vi) बच्चों का टीकाकरण,
- (vii) विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और संबंधित प्रबंध व्यवस्था, तथा
- (viii) शिशु स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम।

प्रश्न पत्र-II

अधिकतम अंक : 250

(कोड नं. 2)

- क) शल्य चिकित्सा
- (ख) प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्रीरोग-विज्ञान
- (ग) निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान

प्रश्नपत्र-II में कुल प्रश्न = 120 (प्रत्येक भाग में से 40 प्रश्न)

प्रश्न पत्र-II का पाठ्यक्रम

(क) शल्य चिकित्सा

(शल्य चिकित्सा, जिसमें कान नाक गला, नेत्ररोग विज्ञान, अभिघात विज्ञान और अस्थिरोग विज्ञान शामिल हैं)

I. सामान्य शल्य चिकित्सा

- (i) घाव
- (ii) संक्रमण
- (iii) अर्बुद(ट्यूमर)
- (iv) लस वाहिका(लिंफैटिक)
- (v) रक्त वाहिका
- (vi) रसौलीशिरानाल/
- (vii) सिर और गर्दन
- (viii) वक्ष
- (ix) पोषण नाल
- (क) ग्रासनली
- (ख) उदर
- (ग) आंत
- (घ) मलद्वार

(ड) विकासात्मक

- (x) यकृत, पित्त, अग्न्याशय
- (xi) तिल्ली (स्प्लीन)
- (xii) पर्युदर्या (पेरिटोनियम)
- (xiii) उदरीयभित्ति (एब्डोमिनल वॉल)
- (xiv) उदरीय घाव (एब्डोमिनल इंजरी)

- II मूत्ररोग शल्यचिकित्सा
- III तंत्रिका शल्यचिकित्सा
- IV कान-नाक-गला रोग विज्ञान
- V वक्ष शल्य चिकित्सा
- VI अस्थि रोग शल्य चिकित्सा
- VII नेत्र रोग विज्ञान
- VIII संवेदनाहरण विज्ञान
- IX अभिघात विज्ञान (ट्रॉमैटोलॉजी)
- X शल्य चिकित्सा संबंधी सामान्य रोगों का निदान और प्रबंधन (डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सर्जिकल एलमेंट्स)
- XI शल्य चिकित्सा वाले रोगियों की ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद देखभाल
- XII शल्य चिकित्सा से जुड़े मेडिकोलीगल और नैतिक मुद्दे (मेडिकोलीगल एंड एथिकल इशूज ऑफ सर्जरी)
- XIII घाव भरना (वूंड हीलिंग)
- XIV सर्जरी में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन
- XV सदमा रोगविज्ञान और प्रबंधन

(ख) प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्रीरोग-विज्ञान

I. प्रसूति विज्ञान

- (i) प्रसव-पूर्व अवस्थाएं
- (ii) प्रसवकालीन अवस्थाएं
- (iii) प्रसवोत्तर अवस्थाएं
- (iv) सामान्य प्रसव या जटिल प्रसव का प्रबंधन

II. स्त्री रोग विज्ञान

- (i) अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान संबंधी प्रश्न
- (ii) रजोधर्म तथा गर्भाधान के अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी प्रश्न
- (iii) जननांग पथ में संक्रमण संबंधी प्रश्न
- (iv) जननांग पथ में सूजन संबंधी प्रश्न
- (v) गर्भाशय विस्थापन संबंधी प्रश्न
- (vi) सामान्य प्रसव तथा सुरक्षित प्रसव प्रक्रिया
- (vii) जोखिमपूर्ण गर्भावस्था तथा उसका प्रबंधन

- (viii) गर्भपात
- (ix) अंतर्गर्भाशयी वृद्धि में बाधा
- (x) बलात्कार सहित प्रसूति एवं स्त्रीरोग में चिकित्सा विधिक जांच

III. परिवार नियोजन

- (i) परम्परागत गर्भनिरोधक-
- (ii) यूऔर खाने की गोलियां .डी.
- (iii) शल्यक्रियाकार्यविधि, बंध्याकरण और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन
- (iv) चिकित्सीय गर्भपात
- (ग) निवारक सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान
 - I सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान
 - II स्वास्थ्य, रोग और निवारक आयुर्विज्ञानकी संकल्पना
 - III स्वास्थ्य प्रबंधन तथा योजना
 - IV सामान्य जानपदिक-रोगविज्ञान
 - V जनांकिकी और स्वास्थ्य आंकड़े
 - VI संचारी रोग
 - VII पर्यावरणीय स्वास्थ्य
 - VIII पोषण तथा स्वास्थ्य
 - IX गैर-संचारी रोग
 - X व्यावसायिक स्वास्थ्य
 - XI आनुवंशिकी तथा स्वास्थ्य
 - XII अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य
 - XIII चिकित्सीय समाज-विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा
 - XIV मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य
 - XV राष्ट्रीय कार्यक्रम
 - XVI सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन
 - XVII राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी करने की क्षमता
 - XVIII मातृ एवं शिशु कल्याण की जानकारी
 - XIX कुपोषण तथा आकस्मिकताओं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने, अन्वेषण करने, रिपोर्ट करने, योजना बनाने और प्रबंधन करने की योग्यता

2. दोनों प्रश्न पत्रों में लिखित परीक्षा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय उत्तरों सहित) स्वरूप की होगी। प्रश्न पत्र (टेस्ट बुकलेट) केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।

3. परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश

(i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अनिवार्यतः स्वयं लिखने करने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों बाजूएं प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के

अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, ऐसे उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-VI (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% या अधिक है) तथा परिशिष्ट IX (उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिनकी लेखन क्षमता प्रभावित है) के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

(iii) स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों बाजूएं प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

(v) पात्र उम्मीदवारों को, मांग किए जाने पर, स्क्राइब की सुविधा तथा/अथवा प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

नोट (1) : स्क्राइब की पात्रता शर्तें, परीक्षा हॉल के अंदर उसका आचरण तथा वह सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में पात्र उम्मीदवारों (उपर्युक्त यथापरिभाषित) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होगा। उक्त सभी या किसी अनुदेश का उल्लंघन होने पर आवश्यक रूप से PwBD उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग स्क्राइब के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

नोट (2) दृश्य अपंगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

स्वस्थ आँख सुधारों के बाद	खराब आँख सुधारों के बाद	अपंगता प्रतिशत	विकलांगता श्रेणी
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 से कम	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आँख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 से कम	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा	6/60 से 3/60 से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ङ (अल्प दृष्टि)

फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक			
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

नोट (3) दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

4. परीक्षा के किसी एक या दोनों प्रश्नपत्रों में अर्हक अंकों का निर्धारण करना आयोग का विवेकाधिकार है।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड की व्यवस्था:

वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र में अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंडस्वरूप ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे।

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं यदि एक प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक तिहाई अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे।
- यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिया गया उत्तर ठीक ही क्यों न हो तथा उस प्रश्न के लिए भी दंड यथोपरि ही होगा।
- यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी उसका कोई उत्तर नहीं देता है तो उस प्रश्न के लिए दंड नहीं दिया जाएगा।

6. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अतः उनसे अपेक्षा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कैलकुलेटर नहीं लाएं।

7. सीएमएसई के दोनों प्रश्न-पत्र एमबीबीएस स्तर के होंगे।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षण—(100 अंक):

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार को, उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान तथा उनके अपने शैक्षिक क्षेत्र में उनकी योग्यता को आंकने के लिए लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में माना जाएगा। इसके साथ-साथ व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत उम्मीदवार की बौद्धिक जिज्ञासा, समग्र समझ की क्षमता, संतुलित निर्णय करने की योग्यता, मानसिक सजगता, सामाजिक एकजुटता की योग्यता, चारित्रिक सत्यनिष्ठा, पहल करने की भावना और नेतृत्व सामर्थ्य का भी आकलन किया जाएगा।

परिशिष्ट -II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं-

1. रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(क) भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अंतर्गत सहायक मंडल स्वास्थ्य अधिकारी (एडीएमओ) का पद समूह "क" के कनिष्ठ वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स के स्तर - 10 (56,100-1,77,500/- रु) में है और इस पद पर समय-समय पर लागू नियमों/आदेशों के अनुसार गैर-प्रेक्टिस भत्ता (एनपीए) देय होता है। निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है। उम्मीदवार, रेल मंत्रालय अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, निजी प्रैक्टिस को सीमित अथवा प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी सभी आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगा।

- (ख) उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर उम्मीदवार भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टि हेतु पात्र हो जाएंगे।
- (ग) परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रेल स्थापना कोड, खंड -I के नियम 301(3) की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। किंतु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने या मानसिक अथवा शारीरिक अशक्तता के कारण की जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में नहीं होगी।
- (घ) उम्मीदवार को रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और सभी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा।
- (ङ) उम्मीदवार 1-1-2004 से लागू सरकार के आदेशानुसार अंशदायी पेंशन पद्धति द्वारा नियंत्रित होगा।
- (च) उम्मीदवार उन्हीं के स्तर के अन्य अधिकारियों पर समय-समय पर लागू छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।
- (छ) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्तित नियमों के अनुसार सारणी निःशुल्क रेलवे पास और विशेष टिकट आदेशों का अधिकारी होगा।
- (ज) उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और यदि वह परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (झ) नियमानुसार, उपयुक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित होने पर किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें कि प्रशिक्षण पर, व्यतीत अवधि शामिल है:
- (ञ) उम्मीदवार उन्हीं के स्तर के अन्य अधिकारियों पर समय-समय पर लागू छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।

परन्तु उस व्यक्ति को:-

- (क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ख) सामान्यतः 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ट) जो बातें ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से कही गई हैं, उनमें और अन्य मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेल स्थापना संहिता और समय-समय पर परिवर्तित/परिशोधित नियमों के अधीन कार्य करेगा।
- (ठ) शुरुआत में उम्मीदवार प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसे पूरा कर लेने के उपरांत उसे विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों औषधालयों में भी तैनात किया जा सकता है। एडीएमओ को किसी अन्य रेलवे में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (ड) "उच्चतर ग्रेडों से संबद्ध वेतनमान तथा भत्तों सहित पदोन्नति की संभावनाएं रेलवे चिकित्सा सेवा भर्ती नियमावली, 2000 तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगी।"
- (ढ) कर्तव्य और दायित्व।

सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी :

- (1) वह प्रतिदिन और आवश्यक होने पर भीतरी वार्डों और बाहरी चिकित्सा विभाग का काम देखेगा।
- (2) वह लागू विनियमों के अनुसार उम्मीदवार और सेवारत कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा।
- (3) वह अपने अधिकार क्षेत्र में परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम देखेगा।
- (4) वह सामान विक्रेताओं की जांच करेगा।
- (5) वह अस्पताल के हेल्थ यूनिट कर्मचारियों में अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) वह अपनी विशेषज्ञता से संबद्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियां और मांग-पत्र तैयार करेगा।

(7) वह सभी उपस्करों का रख-रखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेगा।

टिप्पणी 1 : जब सहा.प्र.चि.अ. किसी प्रभाग के मुख्यालय में सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के प्रभार के अधीन नियुक्त किया जाता है तो वह सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के सभी कर्तव्यों में उसे सहायता देगा किंतु विशेष रूप से उसको कुछ कार्य और दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं।

टिप्पणी 2: सहा. प्र.चि.अ. को समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे।

II. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ज्यूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी

- (क) पद अस्थायी हैं किंतु अनिश्चितकाल तक चल सकते हैं। उम्मीदवारों को कनिष्ठ ग्रुप 'क' वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षा के अधीन रहेंगे। वह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद उनको स्थायी बनाया जायेगा।
- (ख) उम्मीदवारों को, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने वाले देशभर के किसी भी संगठन के अंतर्गत किसी भी औषधालय अथवा अस्पताल में भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हर प्रकार की निजी सेवा (प्रेक्टिस), जिसमें प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता के रूप में की जाने वाली सेवा भी शामिल है, पर प्रतिबंध है।
- (ग) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के चिकित्सा अधिकारी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर – 10 (56,100 रु से 1,77,500/-) का वेतनमान तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार एनपीए देय होगा और पदोन्नति के अवसर, उन्हें, सीएचएस नियमावली, 2014 के तहत किए गए प्रावधानों, और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार प्राप्त होंगे।

III. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ज्यूटी चिकित्सा अधिकारी

- (क) वेतन मेट्रिक्स का स्तर-10 (56,100-1,77,500/-रु.)+ सीमित गैर-प्रेक्टिस भत्ता (एनपीए)।
- (ख) समय-समय पर परिषद में लागू किए गए पेंशन, उपदान, स्थायीकरण आदि से संबंधित साधारण नियम लागू होंगे।
- (ग) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर वे स्थायी रिक्ति के पुष्टि होने तक अस्थायी हैसियत से कार्य करते रहेंगे।
- (घ) उम्मीदवार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी अस्पताल/औषधालय/ एम०एवं सी० तथा परिवार कल्याण केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
- (ङ) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस जो कुछ भी हो, प्रतिबंधित है।
- (च) परिवीक्षा अवधि तथा उसके बाद की अवधि के दौरान जब आप अस्थायी हैसियत से कार्यरत हों दोनों में से किसी पक्ष की एक महीने की सूचना नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद सूचना (नोटिस) के बदले में एक महीने के वेतन का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (छ) जीडीएमओ, वेतन मेट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700/-रु) के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से वेतन मेट्रिक्स स्तर -12 (78800-209200/-रु) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से वेतन मेट्रिक्स स्तर – 13 (118500-214100/-रु) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैरक चयन ग्रेडप्रकार्यात्म-) के पद पर तथा वेतन मेट्रिक्स स्तर – 14 (144200-218200/-रु.) के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

IV) दिल्ली नगर निगम में सामान्य ज्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II:-

- (1) वेतन, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 में प्रथम सेल का न्यूनतम 56,100 रु. (संशोधन-पूर्व पीबी-3, 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5400/- रु. के समतुल्य) तथा एनपीए और नियमानुसार देय अन्य भत्ते।
- (2) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक समापन पर वह तब तक अस्थायी पर रहेगा जब तक स्थायी रिक्ति पर स्थायी नहीं किया जाता है।

(3) उम्मीदवार की नियुक्ति दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी किसी अस्पताल/डिस्पेंसरी, मातृ और शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में की जा सकती है।

(4) किसी भी प्रकार निजी प्रैक्टिस करना मना है।

(5) परिवीक्षा तथा उसके बाद अस्थायी हैसियत से नियोजन अवधि के दौरान किसी भी तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। दिल्ली नगर निगम को नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार है। उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावनाएं जिनमें वेतनमान तथा भत्ते सम्मिलित हैं, भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

परिशिष्ट -III

उम्मीदवारों की शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा से संबंधित नियम

क. सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/ श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

ये नियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए तथा उनके द्वारा अपेक्षित शारीरिक मानदंडों पर पूरा उतरने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। चिकित्सा परीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश देने हेतु भी नियम विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले सभी पद समूह “क” के अंतर्गत “तकनीकी” पद हैं। विभिन्न सेवा (ओं) में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा मापदंडों सहित ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की नोटिस और जानकारी, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2023 में भाग लेने वाली सेवा (ओं) के सभी संबंधित नोडल प्राधिकारियों तथा सभी कैडर नियंत्रक प्राधिकारियों के साथ विधिवत परामर्श करने के पश्चात सीएमएसई -2023 की चिकित्सा परीक्षा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समर्पित (डेडीकेटेड) वेब पेज पर पोस्ट की जाएगी।

2. (क) चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकार या स्वीकार करने संबंधी स्वविवेक का पूर्णाधिकार भारत सरकार के पास आरक्षित है।

(ख) नियुक्ति के लिए “उपयुक्त” पाए जाने पर, उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा शारीरिक दोष न हो जोकि उसकी नियुक्ति के बाद उसके कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन में बाधक बने।

(ख) भारतीय (एंग्लो-इंडियन सहित) उम्मीदवारों की आयु-सीमा, ऊँचाई, वजन और सीने की चौड़ाई में पारस्परिक संबंध हेतु एवं उम्मीदवारों की परीक्षा में उपयुक्त गाइड के रूप में शारीरिक सौष्ठव क्या हो यह बात चिकित्सा बोर्ड पर निर्भर है। अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर धड़ और शारीरिक अंग अनुपात में होने चाहिए और कम से कम ऊँचाई पर बल नहीं देना है। उँचाई, वजन, सीने की चौड़ाई में यदि कोई अनुपात नहीं है तो बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को उपयुक्त और अनुपयुक्त घोषित करने से पहले उम्मीदवार को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। उसकी छाती का एक्सरे लिया जाना चाहिए।

3. उम्मीदवार की उँचाई की नाप-तौल निम्नानुसार होगी

उसे अपने जूते खोलने पड़ेंगे और मानक पर दोनों पैर रखकर खड़ा होना होगा और अपनी एड़ी पर ही सारा वजन रखना होगा न कि पंजे या पैर के किसी अन्य भाग पर। वह टेढ़ा-मेढ़ा खड़ा न होकर सीधा खड़ा होगा तथा उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मानक के साथ सटे हुए होंगे। ठोड़ी को क्षैतिज रेखा के नीचे सिर के बराबर में लाकर दबाकर रखना होगा और ऊँचाई सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के आधे भाग तक को भी नापते हुए दर्ज करनी होगी।

4. उम्मीदवार के सीने की माप निम्नानुसार होगी

उम्मीदवार को इस तरह खड़ा किया जाए कि उनके पैर जुड़े हों और उसकी भुजाएं उनके सिर के ऊपर उठी हुई हों। फीते को छाती के घेरा पर इस तरह लगाया जाए कि उसका ऊपरी किनारा स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (इनफीरियर एंगल्स) के पीछे को छूता हो तथा जब फीते को घेरे की ओर ले जाया जाता है तो उम्मीदवार उसी क्षैतिज तल (हरिजेंटल प्लेन) में रहे। तब दोनों बाहों को नीचे की तरफ ढीला छोड़कर लटका लें और इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कंधे पीछे की तरफ या बाहर की तरफ न झुकें ताकि फीता न हिले। तब उम्मीदवार को निर्देश दिए जाएं कि वह कई बार गहरी सांस ले और सीने के अधिकतम फैलाव को ध्यानपूर्वक नोट किया जाए तथा न्यूनतम और अधिकतम (फैलाव) को सेंटीमीटर 84-89, 86-93.5 आदि में नोट किया जाए। नोट करते समय एक सेंटीमीटर के आधे से कम सेंटीमीटर के भाग को नोट नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें:-

उम्मीदवार की ऊँचाई और सीना की नाप अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दो बार की जानी चाहिए।

उम्मीदवार का वजन भी तोलना होगा और उसका/उसकी वजन किलोग्राम में तोलना होगा, एक किलोग्राम के आधे से कम के भाग को नोट नहीं किया जाना चाहिए।

5. (क) उम्मीदवार की दृष्टि की जांच निम्न नियमों के अनुसार की जाएगी।

(i) सामान्य

उम्मीदवार को आंखों की सामान्य जांच हेतु निदेशित किया जाएगा ताकि किसी भी बीमारी या असामान्यता का पता चल सके। उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि वह आंख (आंखों), पलकों की या इसी तरह की किसी अन्य संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो, जो उसे अयोग्य या भविष्य में सेवा के अयोग्य कर दे।

(ii) दृष्टि तीक्ष्णता :

दृष्टि की तीक्ष्णता के निर्धारण के लिए जांच में दो परीक्षण शामिल हैं- एक दूर दृष्टि तथा दूसरा निकट दृष्टि के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग जांच की जाएगी।

(ख) नंगी आंख की दृष्टि की कोई सीमा नहीं है तथापि, उम्मीदवार की नंगी आंख की दृष्टि को हर मामले में चिकित्सा बोर्ड या अन्य चिकित्सा बोर्ड या अन्य चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा नोट किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की दशा के संबंध में मूल सूचना मिलेगी।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा:-

सेवा का वर्गीकरण

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा (तकनीकी)		भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य सेवाएं (तकनीकी)		
	स्वस्थ आंख	रुग्ण आंख	स्वस्थ आंख (उपचार के बाद दृष्टि)	रुग्ण आंख
1. दूर की दृष्टि	6/6 या 6/9	6/9 या 6/12	6/6 या 6/9	6/12, 6/18 या शून्य
2. निकट की दृष्टि	जे -I	जे- 2	जे-1, जे-2	जे-2, जे-3 या कुछ नहीं
3. उपचार के प्रकार की अनुमति	चश्मा, आई ओ क्रियाएं (लासिक एक्साइमर एक्साइमर शल्य क्रियाएं आदि) की अनुमति दी जा सकती है। दृष्टि स्थायी होनी चाहिए और अपेक्षित मानदंड के अनुसार होनी चाहिए। नेत्र बोर्ड को योग्यता स्पष्ट करनी होगी। शल्य चिकित्सा (सर्जरी) कम से कम एक वर्ष पूर्व की गई हो।	एल/कोर्नियल शल्य		चश्मा, आई ओ एल, लासिक लेजर शल्य क्रियाएं
4. अपवर्तन त्रुटि की सीमाओं की अनुमति	±4.00 डी वे मामले, जहां लेंसों की पावर >-4 डी है, एक विशेष नेत्र चिकित्सा बोर्ड को विकृति विज्ञान संबंधी निकट दृष्टि के नियमों के तहत मामले को स्पष्ट करना होगा।		फंडस सामान्य और बिना विकृति विज्ञान संबंधी निकट दृष्टि के हैं।	
5. रंग दृष्टि अपेक्षाएं	उच्चतर श्रेणी रंग बोध (इशियारा परीक्षण-ई जी एल-13 एमएमरंथ्र)		कम श्रेणी की रंग दृष्टि स्वीकार्य है।	
6. क्या द्विनेत्री दृष्टि आवश्यक है	भैंगेपन के मामले में द्विनेत्री दृष्टि आवश्यक है। योग्य व्यक्तियों के मामले में नेत्र चिकित्सा बोर्ड को मामला दर मामला आधार पर मामले निपटाएं।		नहीं	

(ग) (i) उपर्युक्त दर्शायी गई तकनीकी सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य सेवा के संबंध में, निकट दृष्टि (सिलेंडर सहित) का परिमाण -4.00 डी से अधिक न हो। हाइपरमैट्रोपिया (सिलेंडर सहित) का परिमाण +4.00 डी से अधिक न हो:

बशर्ते, रेल मंत्रालय के अंतर्गत सेवाओं के अलावा अन्य "तकनीकी" सेवाओं के संबंध में अभ्यर्थी के मामले में, उच्च निकट दृष्टि के आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है, तो मामला तीन नेत्र विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजना होगा ताकि यह जाना जा सके कि यह निकट दृष्टि विकृति विज्ञान संबंधी है या नहीं। यदि यह विकृति विज्ञान संबंधी है तो उम्मीदवार को उपयुक्त घोषित किया जाना चाहिए बशर्ते कि वह अन्य दृष्टि अपेक्षाओं को पूरा करता/करती हो।

(ii) निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले में, फंडस जांच की जानी चाहिए और परिणाम नोट कर लेना चाहिए। मौजूदा रोग की स्थिति जिसके बढ़ने की संभावना हो और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालें तो उसे अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(ड.) दृष्टि का क्षेत्र :

मिलान पद्धति (CONFRONTATION METHOD) द्वारा जांच की जाने वाली सभी सेवाओं के संबंध में, दृष्टि के क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसे परीक्षणों से असंतोषजनक या संदेहपूर्ण परिणाम निकले, तो दृष्टि क्षेत्र पैरामीटर द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी:

मौटे तौर पर, रतौंधी दो प्रकार की होती है: (i) विटामिन ए की कमी के परिणामस्वरूप और (ii) रेटिनाकॉमन की आर्गेनिक बीमारी के परिणामस्वरूप-रेटिनिटिस पिगमेंटोसा (i) में, फंडस सामान्य होता है। सामान्यतया युवा वर्ग और कुपोषण ग्रस्त व्यक्तियों में होता है और विटामिन ए की अधिक मात्रा दिए जाने से लाभ होता है। अक्सर फंडस पाए जाते हैं और केवल फंडस की जांच करने पर अधिकांश मामलों में स्थिति का पता चल जाएगा। इस श्रेणी के मरीज वयस्क हैं और वे कुपोषण ग्रस्त न हों। (i) और (ii) दोनों के लिए डार्क एडाप्टेशन परीक्षण से स्थिति का पता चल जाएगा।

(छ) रंग दृष्टि

रंग दृष्टि की जांच उपर्युक्त दर्शायी गई तकनीकी सेवाओं के संबंध में आवश्यक होगी।

नीचे की सारणी में दर्शाए गए अनुसार, चित्रदर्शी (लालटेन) में द्वारक की आकृति पर आधारित उच्च और निम्न वर्ग में रंग बोध को वर्गीकृत किया जाना चाहिए:-

वर्गीकरण (ग्रेड)	उच्च वर्ग रंग बोध	निम्न वर्ग रंग बोध
1	2	3
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फीट	16 फीट
2. द्वारक का आकार	1.3 मि.मी.	13 मि.मी.
3. उद्घाटन काल	5 सेकेंड	5 सेकेंड

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के लिए, उच्चतर वर्ग रंग दृष्टि आवश्यक है लेकिन अन्य सेवाओं के लिए निम्न वर्ग रंग दृष्टि पर विचार करना ही पर्याप्त होगा।

संतोषजनक रंग दृष्टि से अभिप्राय संकेतक लाल, संकेतक हरे और सफेद रंगों को आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के पहचानना है। अच्छी रोशनी में प्रदर्शित इशियारा की प्लेटें और इरिज ग्रीन लैंटर्न का उपयोग रंग दृष्टि की जांच के लिए पूर्णरूपेण विश्वसनीय है। भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के संबंध में, दोनों परीक्षणों में केवल एक पर विचार करना ही उपयुक्त होगा। आई आर एच एस के लिए लैंटर्न टेस्ट आवश्यक है। संदेहास्पद मामलों में, जहां उम्मीदवार एक टेस्ट पास करने में असफल रहते हैं, दोनों ही परीक्षण किए जाने चाहिए। तथापि, भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की रंग दृष्टि की जांच के लिए इशियारा की प्लेटों और इरिज ग्रीन लैंटर्न दोनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

(ज) दृष्टि तीक्ष्णता के अलावा नेत्र स्थिति:

(i) कोई भी कायिक बीमारी या प्रभावी अपवर्तन त्रुटि, जिससे दृष्टि तीक्ष्णता में कमी होने की संभावना हो, को अयोग्यता माना जाना चाहिए।

(ii) भैंगापन.-भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा हेतु, जहां द्विनेत्र दृष्टि आवश्यकता होती हो, प्रत्येक आंख की दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानदंड की होने पर भी, यदि कोई भैंगापन है तो उसे अयोग्यता माना जाना चाहिए। अन्य सेवाओं के लिए, यदि दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की हो तो भैंगापन अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए।

(iii) यदि व्यक्ति की एक आंख है या उसकी एक आंख सामान्य दृष्टि वाली है दूसरी आंख मंददृष्टि वाली है या असामान्य दृष्टि वाली है, तो सामान्य प्रभाव यह है कि गहराई के दृष्टिकोण से उसकी स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि में कमी है। ऐसी दृष्टि भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता नहीं है। चिकित्सा बोर्ड को उसे उपयुक्त होने की सिफारिश करनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की सामान्य आंख निम्नानुसार हो:-

चश्मा के और बिना चश्मा के 6/6 दूर की दृष्टि, जे1 पास की दृष्टि हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी भी शिरोबिंदु में कमी 4 डायोप्टर्स से अधिक न हो।

दृष्टि का पूरा क्षेत्र

सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित हो :

बशर्ते कि बोर्ड संतुष्ट हो कि उम्मीदवार विशिष्ट कार्य से संबंधित सभी कार्य निष्पादित कर सकता है।

(iv) कॉन्टेक्ट लेंस:

उम्मीदवारों के चिकित्सा परीक्षण के दौरान, कॉन्टेक्ट लेंसों की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आवश्यक है कि आंख का परीक्षण करते समय, दूर की दृष्टि के लिए टाइप किए गए अक्षरों की चमक 15 फुट की मोमबत्तियों की चमक में होनी चाहिए।

विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड के लिए दिशा-निर्देश:

नेत्र परीक्षण के लिए विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड में 3 नेत्र विज्ञानी शामिल होंगे:-

- (क) उन मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड ने सामान्य निर्धारित सीमाओं के भीतर दृष्टि कार्यकलाप रिकार्ड किया है लेकिन यह संदेह है कि कोई ऐसा कायिक और बढ़ने वाला रोग है जो दृष्टि कार्यकलाप को नष्ट कर सकता तो उम्मीदवारों को प्रथम चिकित्सा बोर्ड के भाग के रूप में विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड की राय के लिए भेजना चाहिए।
- (ख) आंखों की शल्य क्रिया से संबंधित सभी प्रकार के मामले आई ओ एल, रिफ्रेक्टिव कार्निअल शल्य चिकित्सा, रंग दोष से संबंधित सभी मामले विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड को भेजना चाहिए।
- (ग) ऐसे मामलों में, जहां किसी उम्मीदवार में उच्च निकट दृष्टिता या उच्च हाइपर मेट्रोपिया पाया जाता है तो केंद्रीय स्थाई चिकित्सा बोर्ड/राज्य चिकित्सा बोर्ड को चाहिए कि वह उम्मीदवार को शीघ्र ही अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा गठित तीन नेत्र विज्ञानियों के विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड के पास भेजे जिसमें विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष या वरिष्ठतम नेत्र विज्ञानी हो। नेत्र विज्ञानी/चिकित्सा अधिकारी जिसने प्रारंभ में, आंखों का परीक्षण किया है, विशेष बोर्ड का भाग नहीं हो सकता है।

विशेष बोर्ड द्वारा परीक्षण वरीयता उसी दिन किया जाना चाहिए। जब कभी केंद्रीय स्थायी बोर्ड/राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा तीन नेत्र विज्ञानियों का विशेष बोर्ड चिकित्सा परीक्षा के दिन बनाया जाना संभव न हो, तो विशेष बोर्ड शीघ्रातिशीघ्र संभाव्य तारीख को बनाया जाये।

विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड को अपने निर्णय पर पहुंचने से पूर्व विस्तृत जांच-परख कर लेना चाहिए।

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक कि इसमें विशेष चिकित्सा बोर्ड को भेजे गए सभी मामलों से संबंधित रिपोर्टें शामिल नहीं कर ली जाती।

बार्डर लाइन अनुपयुक्त मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए दिशा-निर्देश:

अव-मानक दृष्टि तीक्ष्णता अवसामान्य रंग दृष्टि के बार्डर लाइन मामलों में, व्यक्ति को अनुपयुक्त घोषित किए जाने से पूर्व बोर्ड 15 मिनट बाद पुनः जांच करेगा।

6. रक्त चाप :

बोर्ड रक्त चाप के संबंध में अपने विवेक का उपयोग कर सकेगा। सामान्य अधिकतम प्रकुंचन (सिकुड़ना-फूलना) दबाव नापने का सामान्य तरीका निम्नानुसार है:-

- (i) 15-25 वर्ष आयु के युवा लोगों के साथ, औसत 100 प्लस आयु है।

- (ii) 25 वर्ष के ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में रक्तदाब के आकलन में 110 प्लस आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

कृपया ध्यान दें:- सामान्य नियम के रूप में 140 एम.एम. के ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर (दाब) और 90 एम.एम. के ऊपर डास्टोलिक प्रेशर (दाब) को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में बोर्ड द्वारा अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगाना चाहिए कि उत्तेजना आदि के कारण रक्त दाब थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक बीमारी है। ऐसे सभी मामले में हृदय का एकसरे तथा विद्युत हृदयलेखी (इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफिक) परीक्षा तथा रक्त यूरिया उत्सर्जन परीक्षण भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। तथापि, उम्मीदवार के योग्य होने या अयोग्य होने के बारे में अंतिम निर्णय चिकित्सा बोर्ड का होगा।

रक्तचाप लेने का तरीका:

नियमानुसार पारद दाबस्तरमापी (मरकरी मैनोमीटर) किस्म के उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी प्रकार के व्यायाम या उत्तेजना के पंद्रह मिनट के भीतर रक्तदाब की माप नहीं की जानी चाहिए। बशर्ते कि रोगी लेटा या बैठा हो और विशेषकर उसकी बांह शिथिल हो तथा बांह आरामदायक स्थिति में रोगी की तरफ थोड़ी बहुत क्षैतिज स्थिति में हो। बांह से कंधा तक कपड़ा उतार दिया जाना चाहिए। कफ से हवा पूरी तरह निकाल कर रबड़ को भुजाओं के अंदरूनी हिस्से के ऊपर रखकर तथा उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी के छोर को ऊपर से समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि वात्प्रधन (इनफ्लेशन) के दौरान उभार को रोका जा सके।

कोहनी के मोड़ पर धड़कन द्वारा प्रगण्ड धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) का पता लगाया जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच (स्टेथोस्कोप) को हल्के से लगाया जाता है जिसका कफ के साथ संपर्क न हो। कफ में लगभग 200 एम.एम.एच.जी. हवा भरी जाती है तथा तब उनमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। जिस स्तर पर कॉलम टिका होता है और जब हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ी है वह प्रकुंचन दाब (सिस्टोलिक प्रेशर) होता है। जब ज्यादा मात्रा में हवा निकलने दिया जाता है और ध्वनि सुनाई देती है और जिसके घनत्व में वृद्धि होती है। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई देने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई लुप्त हो जाएं तो यह अननुशिथिलन दाब (डायास्टोलिक प्रेशर) है। रक्तदाब की माप काफी थोड़ी समयावधि में लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होगी। यदि दोबारा जांच करनी जरूरी है तो कफ से हवा पूरी तरह निकालकर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। कभी-कभी कफ से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर यह गायब हो सकती हैं तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो सकती हैं। इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है।

7. मूत्र (परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र त्याग) की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जहां सामान्य रासायनिक परीक्षण द्वारा चिकित्सा बोर्ड को उम्मीदवार के मूत्र में शक्कर का पता चलता है, बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा तथा मधुमेह के किसी चिह्नों या लक्षणों के सुझाव हेतु विशेष रूप से भी नोट करेगा। यदि शर्करामेह (ग्लाइकोसरिया) के अलावा बोर्ड यह पाता है कि उम्मीदवार अपेक्षित चिकित्सा स्वास्थ्यता मानक को सुनिश्चित करता है तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ योग्य घोषित कर सकता है कि उम्मीदवार शर्करामेह अमधुमेही है तथा बोर्ड इस मामले को किसी निर्दिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल तथा प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। चिकित्सा विशेषज्ञ मानक रक्तशर्करा टालरेन्स परीक्षण सहित जो भी आवश्यक समझें नैदानिक और/या प्रयोगशाला परीक्षा करेगा तथा अपनी राय चिकित्सा बोर्ड को भेजेगा, जिस पर चिकित्सा बोर्ड की अंतिम राय-"योग्य" या "अयोग्य" आधारित होगी। इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को दूसरे अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। औषधि के प्रभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को अस्पताल में सख्त पर्यवेक्षण में कई दिनों तक रखा जाए।

8. उन पदों पर नियुक्ति जिनके लिए कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है:- यदि चिकित्सा परीक्षा के दौरान कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसके "अस्थायी रूप से अयोग्य" अधिक समय तक घोषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन पदों पर नियुक्ति जिनके लिए कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है अर्थात् उन्हें नौकरी पर सीधे नियुक्त किया जा सकता है।

ऐसे पदों/सेवाओं के लिए, जिनमें पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण विनिर्धारित किया गया है और परीक्षण करने पर कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है, तो उसे अस्थायी रूप से तब तक अनफिट घोषित किया जाए जब तक उसकी प्रसूति की अवधि पूरी न हो जाए। प्रसूति की तारीख के छः सप्ताह पश्चात फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु उसका पुनः परीक्षण किया जाए, किंतु यह परीक्षण किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर से प्राप्त फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्ययन होगा।

9. निम्नलिखित अतिरिक्त बिंदुओं का अनुपालन किया जाना चाहिए:-

(क) उम्मीदवारों के प्रत्येक कान से अच्छा सुनाई पड़ता हो तथा कान में किसी बीमारी के चिह्न न हो। यदि उम्मीदवार के कान में खराबी हो तो उनका इलाज किसी कान, नाक एवं गला विशेषज्ञ से कराना चाहिए। बशर्ते कि यदि श्रवण की खराबी को शल्यक्रिया

द्वारा या श्रवण यंत्र लगाकर उस खराबी को दूर किया जाए तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि उम्मीदवार के कान में कोई बढ़ने वाली बीमारी न हो। भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के मामले में यह उपबंध लागू नहीं है।

इस संबंध में चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं:-

भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा(तकनीकी)	भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य सेवाएं (तकनीकी)
1. एक कान में प्रकट या पूर्ण अयोग्य बहरापन, दूसरा कान सामान्य	योग्य, यदि उच्च आवृत्ति में बहरापन 30 डेसीबल तक हो।
2. दोनों कानों में बोधी योग्य, 1000-4000 के स्वर आवृत्ति में यदि बहरापन 30 डेसीबल तक हो। बहरापन जिसमें श्रवण यंत्र द्वारा कुछ सुधार संभव है।	योग्य, 1000-4000 के स्वर आवृत्ति में यदि बहरापन 30 डेसीबल तक हो।
3. सेंट्रल या मार्जिनल टाईप के कर्णपटह (टिम्पेनिक मेम्ब्रेन) छिद्र	(i) एक कान से सामान्य, दूसरे कान में कर्णपटह (टिम्पेनिक मेम्ब्रेन) छिद्र-"अस्थायी रूप से अयोग्य"। कर्ण शल्य चिकित्सा द्वारा स्थिति में सुधार के अंतर्गत दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए तथा उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या अधिमध्यकर्ण (एटिक) छिद्र-"अयोग्य"। (iii) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र - "अस्थायी रूप से अयोग्य"।
4. कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी) सहित कान एक तरफ/दोनों तरफ अपसामान्य श्रवण	(i) एक कान से सामान्य श्रवण तथा दूसरे कान में कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी)- "योग्य"। (ii) दोनों तरफ कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी)- "अयोग्य"।
5. लगातार बहते रहने वाला कान शल्य क्रिया सम्पन्न/शल्य क्रिया असंपन्न।	"अस्थायी रूप से अयोग्य"।
6. नासापट (नेसल सेप्टम) की अस्थि विरूपता सहित या रहित नाम की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी/प्रव्यूजता (ऐलजीक) अवस्था।	(i) व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (ii) यदि लक्षणों सहित नासापट (नेसल सेप्टम) में विचलन विद्यमान हो "अस्थायी रूप से अयोग्य"।
7. गलतुण्डिका (टांसिल) और/या स्वरयंत्र (लैरिक्स) की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी) अवस्था।	(i) गलतुण्डिका (टांसिल) और/या स्वरयंत्र (लैरिक्स) की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी) अवस्था "योग्य"। (ii) यदि आवाज में बहुत अधिक मात्रा में स्वररक्षिता (हार्सनेस) मौजूद हो तो "अस्थायी रूप से अयोग्य"।
8. कान, नाक एवं गला का सुदम्य या स्थानिक दुर्दम अर्बुद (ट्यूमर)	(i) सुदम्य अर्बुद "अस्थायी रूप से अयोग्य"। (ii) दुर्दम अर्बुद-"अयोग्य"।

9. कर्णगहन सम्पुट काटिन्य (ओटोस्कोलेरोसिस)	शल्य क्रिया के बाद या श्रवण यंत्र की मदद से यदि श्रवण 30 डेसीबल के भीतर हो- "योग्य"।	शल्य क्रिया के बाद या श्रवण यंत्र की मदद से यदि श्रवण 30 डेसीबल के भीतर हो- "योग्य"।
10. कान, नाक या गला का जन्मजात दोष।	(i) यदि कार्य में बाधक न हो "योग्य"। (ii) बहुत अधिक मात्रा में हकलाहट "अयोग्य"।	(i) यदि कार्य में बाधक न हो "योग्य"।
11. नासा/बहु (पॉली)	"अस्थायी रूप से अयोग्य"।	"अस्थायी रूप से अयोग्य"।

(क) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो;

(ख) उम्मीदवार के दांत अच्छी हालत में हैं तथा जहां आवश्यक है चबाने के लिए कृत्रिम दंतावली लगी है (पूरे भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा);

(ग) उम्मीदवार की छाती की बनावट अच्छी है और उसकी छाती का फैलाव अच्छी तरह है तथा उसका हृदय या फेफड़े ठीक हैं;

(घ) उम्मीदवार को पेट की बीमारी के कोई प्रमाण नहीं है;

(ङ) उम्मीदवार के कर्णपट्ट में विदार (रप्चर) नहीं है;

(च) उम्मीदवार हाइड्रोसील, अपस्फीती शिरा (वेरीकोशवेन) बवासीर से पीड़ित नहीं है;

(छ) उम्मीदवार के अंग, हाथ तथा पैर की बनावट अच्छी तथा विकसित है तथा सभी संधियां (जोड़) मुक्त तथा पूर्ण गतिशील हैं;

(ज) उम्मीदवार को कोई चिरकालिक चर्म रोग नहीं है;

(झ) उम्मीदवार में जन्मजात कोई कुरचना या दोष नहीं है;

(ञ) उम्मीदवार में किसी तीव्र या चिरकालिक बीमारी के लक्षण नहीं हैं जो उसके कमजोर गठन को इंगित करते हों;

(ट) उम्मीदवार को किसी प्रकार के कारगर टीके का निशान है;

(ठ) उम्मीदवार को किसी प्रकार का संचारी रोग नहीं है।

10. हृदय तथा फेफड़ों की किसी भी प्रकार की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए सभी मामलों में छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण नेमी तौर पर किया जाना चाहिए, उन उम्मीदवारों को केवल साधारण शारीरिक परीक्षा के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए जिन्हें सम्मिलित चिकित्सा परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है।

उम्मीदवार की चिकित्सा अरोग्यता के बारे में केंद्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में संदेह होने के मामले में चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष उपयुक्त अस्पताल विशेषज्ञ से परामर्श करके यह निर्णय कर सकते हैं कि उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए योग्य या अयोग्य है अर्थात् यदि उम्मीदवार के विषय में यह संदेह व्यक्त किया जा रहा हो कि उम्मीदवार किसी प्रकार के मानसिक दोष या बुद्धिभ्रंश (एवरेशन) से पीड़ित है, बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ/मनोवैज्ञानिक, आदि से परामर्श कर सकता है।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य नोट करें तथा चिकित्सा परीक्षक को अपनी राय देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित कार्य के दक्षतापूर्वक निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

यदि किसी मामले में चिकित्सा बोर्ड का यह विचार हो कि छिट-पुट विकलांगता सरकारी सेवा के लिए किसी उम्मीदवार को अपात्र कर सकती है लेकिन इलाज (चिकित्सा या शल्य चिकित्सा) से उसे ठीक किया जा सकता है, तो इस संबंध में चिकित्सा बोर्ड द्वारा एक कथन रिकॉर्ड किया जाए। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में बोर्ड का मत उम्मीदवार को सूचित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और इलाज के बाद उम्मीदवार के स्वस्थ हो जाने पर प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दूसरे चिकित्सा बोर्ड की मांग कर सकता है।

“अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित किए जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में पुनःपरीक्षण हेतु निर्धारित अवधि सामान्यतया छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद, पुनःपरीक्षण होने पर इन उम्मीदवारों को और अधिक अवधि के लिए “अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित नहीं किया जाए किंतु इस संबंध में नियुक्ति के लिए उनकी फिटनेस अथवा अन्यथा के संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाए। यह नोट किया जाए कि यदि कोई उम्मीदवार सुसाध्य रोग से पीड़ित है, तो उसे केवल प्रथम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही “अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित किया जा सकता है। चिकित्सा पुनःपरीक्षण को पहले चिकित्सा परीक्षण का ही भाग माना जाएगा और उम्मीदवार यदि चाहें तो, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड को अंतिम निर्णय लेना होगा तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि उम्मीदवार फिट है या अनफिट है। अपीलीय चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किसी उम्मीदवार को “अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित नहीं किया जा सकता।

11. चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए उम्मीदवार को इस बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीकों द्वारा जो भी हो रु. 100 का अपील शुल्क जमा कराना होगा। उम्मीदवार को भेजे गए चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की सूचना के 21 दिनों के भीतर अपील करनी चाहिए अन्यथा अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा दूसरी चिकित्सा परीक्षा के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा केवल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी तथा संबंधित चिकित्सा परीक्षा के लिए की गई यात्राओं के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं है। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

ख. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए :

अपेक्षित शारीरिक मानक संबंधी संभाव्यता को जानने के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विनियम प्रकाशित किए गए हैं। विनियमों में डॉक्टरी जांचकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध करवाना भी अपेक्षित है। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले सभी पद समूह 'क' “तकनीकी” पद हैं

2. (क) भारत सरकार के पास चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के उपरान्त अभ्यर्थी को स्वीकारना या अस्वीकार करना पूर्णतया उनके विवेकाधीन है।

नियुक्ति के लिए “फिट” घोषित करने के लिए अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छी स्थिति में होना चाहिए और उसमें कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसकी नियुक्ति पर कुशल कार्य निष्पादन में बाधक हो।

(ग) भारत के अभ्यर्थियों (एंग्लो इंडियन प्रजाति सहित) की आयु सीमा, कद, वजन और छाती परिमाप सह संबंध को चिकित्सा बोर्ड पर छोड़ा जाता है जो अभ्यर्थियों की जांच में जो कोई भी परिमाप का सह संबंध उपयुक्त समझें उसका अनुसरण कर सकते हैं। धड़ और अंग आनुपातिक होने चाहिए और न्यूनतम कद पर कोई जोर नहीं दिया जाता है अगर वे अन्यथा फिट पाया जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी कद, वजन और छाती परिमाप में विषम पाया जाता है तो उसे जांच के लिए भर्ती किया जाना चाहिए और उसे बोर्ड द्वारा फिट अथवा अनफिट घोषित करने से पहले उसकी छाती का एक्सरे किया जाना चाहिए।

3. अभ्यर्थी का कद निम्नानुसार मापा जाएगा:-

वह अपने जूते उतारेगा/(गी) और मापक में दोनों पैर जोड़कर खड़े रहेंगे और पूरा वजन एडियों पर डाला जाना चाहिए, न कि पंजों पर अथवा पैरों के दूसरी ओर। वह अकड़े बिना सीधे खड़े होंगे और एडियां, पिण्डलियां, नितंब और कंधे मापक को छूते हों और ठोड़ी इस तरह दबी हो कि सिर का शीर्ष क्षैतिज बार के नीचे आ जाए और कद सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके भाग को आधे के रूप में मापा जाएगा।

1. अभ्यर्थी की छाती का माप निम्नानुसार लिया जाएगा :-

उसे पैर जोड़कर तथा अपनी बांहें सिर के ऊपर रखते हुए सीधा खड़ा किया जाएगा। टेप को छाती के चूड़ों और इस प्रकार से लगाया जाएगा कि इसका उपरी किनारा कंधे की हड्डी के पीछे निचले छोर को छुए और जब इसे छाती पर घुमाया जाए तो ठीक उसके समानांतर हो। फिर बाजुओं को नीचे लाकर ढीला छोड़ा जाएगा और ये ध्यान रखा जाए कि कंधे न ऊपर की ओर और न ही पीछे की ओर झुके हों जिससे टेप हिल जाए और तब अभ्यर्थी को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा और अधिकतम फैलाव को ध्यानपूर्वक नोट किया जाए और तब न्यूनतम व अधिकतम को 84-89, 86-93.5 आदि सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया जाए और माप लेते समय आधे सेंटीमीटर से कम को पैमाइश में न लिया जाए

नोट करें- किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व कद और छाती का माप दो बार लिया जाए।

अभ्यर्थी का वजन भी किया जाएगा और यह किलोग्राम में रिकॉर्ड किया जाए; आधे किलोग्राम का भाग नोट न किया जाए।

2. लोकोमोटर अपंगता : 40-80 प्रतिशत विकलांगता वाले उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र हैं। 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है, यदि और सिर्फ यदि, सहायक उपकरणों की मदद से प्रकार्यात्मक सक्षमता में सुधार है। या दूसरे शब्दों में, आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने के लिए अपेक्षानुसार विकलांगता को 80 प्रतिशत से नीचे लाया जाता है, जो नामित विशेष बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित हो।

कुष्ठरोग से ठीक हुए व्यक्तियों के मामले में, उंगलियों और हाथों, विच्छेदन में संवेदन की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ ही आंखों की भागीदारी और तदनुरूप सिफारिशों पर गौर किया जाना चाहिए।

सेरेब्रल पाल्सी के मामले में, दृष्टि, श्रवण, बोध क्षमता, इत्यादि की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूप सिफारिशों पर गौर किया जाना चाहिए।

आईआरएचएस के लिए :सी एम एस ई के माध्यम से आईआरएचएस में एडीएमओ की सीधी भर्ती में केवल ओ ए, ओ एल और बी एल के कार्यात्मक वर्गीकरण के साथ PwBD के लिए मौजूदा लोकोमोटिव विकलांगता।

3. दृश्य विकलांगता : 40% से अधिक दृश्य तीक्ष्णता विकलांगता वाले उम्मीदवार पात्र हैं, बशर्ते दृश्य विकलांगता को कम विजन वाले उन्नत सहायक उपकरणों के साथ 40% से कम के बेंचमार्क स्तर पर लाया जाए।

इसे नामित विशेष बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा।

दृष्टि तीक्ष्णता :

आईआरएचएस : विजुअल एक्ज्युइटी वाले उम्मीदवार आईआरएचएस में एडीएमओ के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

दृष्टि विवर्णता :

आईआरएचएस : कलर विजन दोष वाले उम्मीदवार आईआरएचएस में एडीएमओ के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

श्रवण अपंगता : 40% से अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा बशर्ते श्रवण विकलांगता के स्तर को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% बेंचमार्क से नीचे तक लाया जाए जो नामित विशेष बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, व्यक्ति का स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 60% से अधिक होना चाहिए।

आईआरएचएस : श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों पर आईआरएमएस में एडीएमओ के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. अन्य अपंगताएं (आस्टिज्म, बौद्धिक अपंगताएं, विशिष्ट ज्ञान संबंधी अपंगताएं और मानसिक रुग्णता) :

बौद्धिक अक्षमता:

- (i) ऑटिज्म- वर्तमान में इस मानसिक बीमारी की उपस्थिति और विस्तार को स्थापित करने की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है।
- (ii) विशिष्ट सीखने की अक्षमता: 40 प्रतिशत से अधिक अथवा इसके बराबर और 80 प्रतिशत से कम अथवा इसके बराबर अक्षमता वाले इसके लिए पात्र होंगे। परंतु यह चयन, विशेषज्ञों के पैनल द्वारा रेमेडिएशन/सहायक प्रौद्योगिकी/सहायता/अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकित सीखने की क्षमता पर आधारित होगा। [वर्तमान में विशिष्ट सीखने की अक्षमता की तीव्रता का आकलन करने के लिए मापने का कोई पैमाना नहीं है। अतः 40 प्रतिशत का कट ऑफ स्वैच्छिक होगा और इसके लिए अधिक साक्ष्य की जरूरत है]

मानसिक बीमारी:

वर्तमान में इस मानसिक बीमारी की उपस्थिति और विस्तार को स्थापित करने की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है। तथापि, अक्षमता मूल्यांकन की बेहतर प्रक्रिया विकसित करने के पश्चात् आरक्षण/कोटा के लाभ पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।

आईआरएचएस : ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता वाले उम्मीदवार आईआरएचएस में एडीएमओ के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

विशेष नेत्र बोर्ड के लिए दिशानिर्देश

नेत्र जांच के लिए विशेष नेत्र बोर्ड में तीन नेत्र विज्ञानी होंगे:

- (क) ऐसे मामले जिनमें मेडिकल बोर्ड ने दृष्टि दोष को सामान्य निर्धारित सीमा में होना रिकॉर्ड किया है लेकिन ऐसे रोग की शंका जाहिर की है जिसके बढ़ने और इंद्रिय (आर्गेनिक) प्रकृति का होने का अंदेशा है जिसके कारण नज़र को नुकसान हो सकता है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रथम मेडिकल बोर्ड के भाग के रूप में विशेष नेत्र बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए।
- (ख) नेत्रों की किसी प्रकार की सर्जरी किए होने के सभी मामले, आईओएल, रिफ्रेक्टिव कॉर्नियल सर्जरी, वर्ण दोष के संदेहास्पद मामले विशेष नेत्र बोर्ड को भेजे जाने चाहिए।
- (ग) ऐसे मामले जिसमें अभ्यर्थी हाई मायोपिया या हाई हाईपरमेट्रोपिया से ग्रस्त पाया जाता है, केंद्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड अधीक्षकताल में चिकित्सार्थी को अस्प तुरंत अभ्य बोर्ड चिकित्साराज्य/ द्वारा गठित तीन नेत्र विज्ञानियों के विशेष बोर्ड के पास भेजे जाएंगे। जिसका अध्यक्ष, अस्पताल के नेत्र विभाग का वरिष्ठतम नेत्र विज्ञानी होगा। नेत्र विज्ञानी चिकित्सा/ की हो विज्ञानी जिसने प्राथमिक नेत्र जांच, वह विशेष बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।

विशेष बोर्ड द्वारा जांच अधिमानत बोर्ड चिकित्साराज्य/ बोर्डयी चिकित्साउसी दिन की जानी चाहिए। जहां कहीं केंद्रीय स्था : द्वारा उसी दिन तीन नेत्र विज्ञानियों का विशेष बोर्ड आयोजित कर पाना संभव न हो, विशेष बोर्ड जल्द से जल्द संभव तारीख पर आयोजित किया जाए।

किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व विशेष नेत्र बोर्ड विस्तृत जांच करेगा

ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि इसके साथ विशेष मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट न लगाई हो।

बार्डर लाइन वाले अनफिट मामलों की रिपोर्ट करने संबंधी दिशानिर्देश

अवसामान्य दृष्टि तीक्ष्णता, अवसामान्य वर्णान्धता, के बार्डर लाइन वाले मामलों में किसी व्यक्ति को अनफिट घोषित करने से पूर्व, जांच 15 मिनट के पश्चात दोबारा की जाएगी।

5. रक्त चाप: रक्त चाप के संबंध में बोर्ड अपने विवेक का प्रयोग करेगा। सामान्य अधिकतम सिस्टॉलिक दबाव की गणना की साधारण विधि निम्नानुसार है:

(क) 15-25 वर्ष की आयु के युवा व्यक्ति का रक्त चाप 100+ आयु है।

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए सामान्य नियम है 110 + आयु के अर्ध को संतोषजनक कहा जाता है।

कृपया ध्यान दें—सामान्य सिद्धांत के अनुसार 140 एमएम से अधिक सिस्टॉलिक दबाव और 90 एमएम से ऊपर डॉयास्टोलिक को संदेहास्पद माना जाना चाहिए और फिटनेस अथवा अन्यथा अपना अंतिम निर्णय देने से पूर्व बोर्ड को, अभ्यर्थी को भर्ती करना चाहिए। अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट से विदित होगा कि क्या रक्त चाप बढ़ना उत्तेजना के कारण स्थायी प्रकार का था या यह किसी इंद्रिय रोग के कारण है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे तथा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जांच तथा रक्त यूरिया क्लोरिड्स जांच भी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अभ्यर्थी की फिटनेस या अन्यथा संबंधी अंतिम निर्णय, तथापि, मेडिकल बोर्ड का ही होगा।

रक्त चाप लेने की विधि :- नियमानुसार पारे वाला मेनोमीटर प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाया जाना चाहिए। किसी व्यायाम या उत्तेजना के 15 मिनट के भीतर इसे मापा नहीं जाना चाहिए।

बशर्ते कि रोगी और विशेष रूप से उसका हाथ ढीला रखा जाए, वह या तो लेट जाए अथवा बैठ जाए और उसके हाथ को आराम से उठाकर सीधा करके रख दिया जाए। कंधे तक हाथ पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। कफ़ में से पूरी हवा निकालकर उसे रबड़ के बीच में से हाथ की अंदरूनी तरफ से लगाया जाना चाहिए और इसके निचले सिरे को कोहनी के जोड़ से एक या दो इंच ऊपर लगाया जाना चाहिए।

कोहनी के जोड़ पर भुजा धमनी का धड़कन द्वारा पता लगाया जाता है और इसके उपरांत इसके नीचे बिल्कुल बीच में आराम से स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, लेकिन यह कफ़ से नहीं छूता है। कफ़ में लगभग 200 मी.मी.एचजी हवा भरी जाती है और इसमें से फिर धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। कॉलम के जिस लेबल पर निरंतर हल्की आवाजें आती हैं। वह सिस्टोलिक प्रेसर को दर्शाता है। जब और ज्यादा हवा निकाली जाती है तो आवाज की गहनता में तेजी सुनाई देगी। जिस स्तर पर आसानी से सुनी जाने वाली आवाज धीमी पड़ती हुई आवाज में परिवर्तित होती है, वह डायस्टोलिक प्रेसर कहलाता है। यह माप बहुत ही कम समयावधि में लिया जाना चाहिए, क्योंकि कफ़ से ज्यादा देर तक पड़ने वाले दबाव से रोगी परेशान हो जाता है और इससे रीडिंग गलत हो जाएगी। यदि पुनः जांच करने की आवश्यकता हो तो कफ़ में से पूरी हवा निकालने के उपरांत कुछेक मिनटों के बाद ही की जानी

चाहिए। कभी-कभार जब कफ़ में से हवा निकालते हैं तो कतिपय स्तर पर सुनी जाने वाली आवाज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि दबाव (प्रेसर) गिर जाता है और अत्यधिक निम्न स्तर तक पुनः सुनाई देता है। इस अनुच्चरित अंतराल से रीडिंग में गलती हो सकती है।

6. मूत्र (परीक्षक की उपस्थिति में किया गया हो) की जांच की जानी चाहिए और परिणाम दर्ज किए जाने चाहिए। यदि मेडिकल बोर्ड को अभ्यर्थी के मूत्र में आम रासायनिक जांचों द्वारा शर्करा (शुगर) की मौजूदगी का पता चलता है तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की जांच करेगा और मधुमेह की ओर इशारा करने वाले सभी लक्षणों अथवा चिह्नों को विशेष रूप से नोट करेगा। यदि ग्लाइकोसूर्या को छोड़कर बोर्ड अभ्यर्थी को अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के अनुरूप पाता है, तो वे अभ्यर्थी को फिट के रूप में उत्तीर्ण कर देंगे, बशर्ते कि यह ग्लाइकोसूर्या गैर-मधुमेही हो और बोर्ड इस मामले को किसी ऐसे विनिर्दिष्ट काय चिकित्सा विशेषज्ञ के पास भेजेगा, जहां इस प्रयोजनार्थ अस्पताल एवं प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध हो। चिकित्सा विशेषज्ञ, एक मानक ब्लड शुगर टोलरेंस जांच सहित उसके द्वारा आवश्यक समझी गई कोई भी जांच, नैदानिक/प्रयोगशाला जांच करेगा, और अपनी राय चिकित्सा बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसके आधार पर चिकित्सा बोर्ड अपनी अंतिम राय 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' के रूप में देगा। इस उद्देश्य के लिए उम्मीदवार को बोर्ड के समक्ष दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। औषधियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किसी उम्मीदवार को कड़े पर्यवेक्षण के अंतर्गत कुछ दिनों तक अस्पताल में रखना आवश्यक हो सकता है।

7. उन पदों पर नियुक्ति के लिए जिनके कोई विशेष प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है: जिन पदों पर नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है, उन पदों पर महिला उम्मीदवार यदि नियुक्ति से पहले चिकित्सा जांच के दौरान गर्भवती पाई जाती है तो उसे अस्थायी रूप में अयोग्य घोषित करना आवश्यक नहीं होगा, अर्थात् उसे सीधे सेवा में नियुक्त किया जा सकता है।

ऐसे पदों/सेवाओं के लिए, जिनमें पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण विनिर्धारित किया गया है और परीक्षण करने पर कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है, तो उसे अस्थायी रूप से तब तक अनफिट घोषित किया जाए जब तक उसकी प्रसूति की अवधि पूरी न हो जाए। प्रसूति की तारीख के छः सप्ताह पश्चात फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु उसका पुनः परीक्षण किया जाए, किंतु यह परीक्षण किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर से प्राप्त फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्ययन होगा।

8. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों के संबंध में हृदय अथवा फेफड़ों की किसी असामान्यता, जिसका सामान्य शारीरिक जांच के दौरान पता न लग पाता हो, के लिए सभी मामलों में छाती की रेडियोग्राफिक जांच नेमी रूप में की जानी चाहिए।

9. उम्मीदवार की उपयुक्तता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा जांच संचालितकर्ता) का निर्णय अंतिम होगा। किसी अभ्यर्थी के स्वास्थ्य के संबंध में संदेह होने के मामले में, चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष सरकारी सेवा के लिए अभ्यर्थी की स्वस्थता अथवा अस्वस्थता के मुद्दे का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त अस्पताल विशेषज्ञ से परामर्श करे, उदाहरणस्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी के किसी मानसिक विकार अथवा बुद्धि भ्रंश से पीड़ित होने का संदेह हो तो बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के मनश्चिकित्सक/मनोविज्ञानी, इत्यादि से संपर्क कर सकता है।

10. यदि कोई दोष पाया जाए तो प्रमाणपत्र में अवश्य नोट किया जाए तथा चिकित्सा निरीक्षक अपना अभिमत बताए कि क्या इससे अभ्यर्थी के द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कुशल कार्य-निष्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है।

यदि किसी मामले में चिकित्सा बोर्ड का यह विचार हो कि छिट-पुट विकलांगता सरकारी सेवा के लिए किसी उम्मीदवार को अपात्र कर सकती है लेकिन इलाज (चिकित्सा या शल्य चिकित्सा) से उसे ठीक किया जा सकता है, तो इस संबंध में चिकित्सा बोर्ड द्वारा एक कथन रिकॉर्ड किया जाए। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में बोर्ड का मत उम्मीदवार को सूचित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और इलाज के बाद उम्मीदवार के स्वस्थ हो जाने पर प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दूसरे चिकित्सा बोर्ड की मांग कर सकता है।

“अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित किए जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में पुनः परीक्षण हेतु निर्धारित अवधि सामान्यतया छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद, पुनः परीक्षण होने पर इन उम्मीदवारों को और अधिक अवधि के लिए “अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित नहीं किया जाए किंतु इस संबंध में नियुक्ति के लिए उनकी फिटनेस अथवा अन्यथा के संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाए। यह नोट किया जाए कि यदि कोई उम्मीदवार सुसाध्य रोग से पीड़ित है, तो उसे केवल प्रथम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही “अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित किया जा सकता है। चिकित्सा पुनः परीक्षण को पहले चिकित्सा परीक्षण का ही भाग माना जाएगा और उम्मीदवार यदि चाहें तो, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड को अंतिम निर्णय लेना होगा तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि उम्मीदवार फिट है या अनफिट है। अपीलीय चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किसी उम्मीदवार को “अस्थायी रूप से अनफिट” घोषित नहीं किया जा सकता।

11. चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील दर्ज करने वाले अभ्यर्थी को, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जैसा निर्धारित किया गया है, के अनुसार 100.00 रुपये का अपील-शुल्क जमा कराना होगा। अपील अभ्यर्थी को संप्रेषित चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के संप्रेषण की तारीख के 21 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए; अन्यथा अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा दूसरी बार चिकित्सा जांच संबंधी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा केवल नई दिल्ली में ही चिकित्सा जांच कराई जाएगी तथा चिकित्सा जांच के संबंध में की गई यात्राओं के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता अथवा दैनिक भत्ता अनुमेय नहीं होगा। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

वंदना जैन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट—iv

शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यात्मक वर्गीकरण सहित बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पहचान की गई सेवाओं की सूची ।

क्रम सं.	सेवा का नाम	श्रेणियां, जिनके लिए पहचान की गई	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (आई आर एम एस) में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (ए डी एम ओ)	लोकोमोटर विकलांगता	(i) ओए-एक हाथ प्रभावित, (ii) ओएल-एक पैर प्रभावित, और (iii) बीएल-दोनों पैर प्रभावित परंतु हाथ नहीं।	एस, एसटी, बीएन, डबल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडबल्यू, एच
एस=सीटिंग, एसटी=स्टैंडिंग, बीएन=बेंडिंग, डबल्यू=वॉकिंग, एसई=सीईंग, एमएफ=मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, सी=कम्यूनिकेशन, आरडबल्यू=रीडिंग एण्ड राईटिंग, एच=हियरिंग.				
2.	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ड्यूटी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड	(1), उपचारित कुछ रोग, बौनापन और एसिड अटैक पीड़ितों सहित लोकोमोटर विकलांगता (2) विशिष्ट सीखने की अक्षमता (3) खंड (1) से (2) के अंतर्गत लोगों के बीच विविध अक्षमताएं	एस, एसटी, डबल्यू, बीएन, एमएफ, आरडबल्यू, एसई, एच, सी एस=सीटिंग, एसटी=स्टैंडिंग, डबल्यू=वॉकिंग बीएन=बेंडिंग, एमएफ=मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, आरडबल्यू=रीडिंग एण्ड राईटिंग, एसई=सीईंग, एच=हियरिंग सी=कम्यूनिकेशन, .. अवलंबी को सहायता और उपकरणों के साथ विचार किया जाना चाहिए, द्विपक्षीय हाथ की गतिविधियां पर्याप्त होनी चाहिए।	
3.	जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रुप II	(i) ओए, ओएल, बीएल-, एलसी, डीडबल्यू, एएवी ii) एसएलडी iii) एमडी खंड (1) से (2) के अंतर्गत	एस, एसटी, डबल्यू, बीएन, एमएफ, आरडबल्यू, एसई, एच, सी	
4.	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	लोकोमोटर विकलांगता	ओए और ओएल केवल कार्यात्मक वर्गीकरण-ओएच (ओए और ओएल) उपचारित कुछ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों के साथ	एस, एसटी, बीएन, डबल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडबल्यू, एच एस - सीटिंग, एसटी-स्टैंडिंग, बीएन- बेंडिंग, डबल्यू - वॉकिंग, एसई - सीईंग, एमएफ - मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, सी - कम्यूनिकेशन आरडबल्यू - रीडिंग एण्ड राईटिंग, एच - हियरिंग.

परिशिष्ट— V

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ; बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का नाम सुपुत्र श्री/सुपुत्री श्री निवासी ; गांव/जिला/राज्य जो ; विकलांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशतता से ग्रस्त हैं, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूँ कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं ।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नोट : प्रमाण पत्रा संबंधित रोग/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर

परिशिष्ट— vi

अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु वचनबंध

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए

मैं ; नाम, ... ; विकलांगता का नाम विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूँ तथा अनुक्रमांक के तहत ; राज्य का नाम, ... जिले के ; परीक्षा केन्द्र का नाम केन्द्र पर ; परीक्षा का नाम की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए श्री ; स्क्राइब का नाम अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उसकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किए अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक पाई जाती हैं तो मैं इस पद और तत्संबंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

विकलांगता वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट-vii

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार कानाम), पुत्र/पुत्री , निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट—viii

अनुक्रमांक.....

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का प्रारूप

सीएमएसई 2023 हेतु

अस्पताल का नाम.....स्थान.....

रैंक.....

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा।

चिकित्सा जांच से पहले उम्मीदवार निम्नांकित कथन प्रस्तुत करे और इसके परिशिष्ट में दी गई घोषणा पर हस्ताक्षर करे। उम्मीदवारों का ध्यान निम्नांकित पैरा 08 में दी गई चेतावनी की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है:-

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

.....
.....

3(ग). क्या किसी समय नेत्र शल्य चिकित्सा(रेडियल केराटोमी/लेसिक/एक्ज़ाइमर आदि) हुई है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें:

.....

2(क). आयु : जन्म तिथि : जन्म स्थान:

.....

2(ख). क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नगालैंड जनजातियों जैसी प्रजातियों से संबंधित हैं, जिनकी औसत ऊंचाई स्पष्ट रूप से कम होती है? उत्तर 'हां' अथवा 'नहीं' में दें और यदि उत्तर 'हां' है तो जनजातीय प्रजाति का नाम लिखें।

.....

3(क). क्या आप कभी चेचक (स्मॉल पॉक्स) अथवा रुक-रुक कर आने वाले कोई अन्य बुखार, गिल्टी के बढने या घाव, रक्त की उल्टी, दमा, हृदय रोग, फेफड़ा रोग, बेहोशी का दौरा,

3(घ). (i) क्या आप बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवार हैं? - हां/नहीं

(ii) विकलांगता की उप श्रेणी का उल्लेख करें _____

(उदाहरण के लिए ओएल, ओए, बीएल आदि)

4. क्या कार्य की अधिकता या किसी अन्य कारण से आप किसी प्रकार की घबराहट से ग्रस्त रहे हैं?

.....

.....

फोटो

अनुक्रमांक, रैंक तथा
विषय

पिछली तरफ लिखें

र्यूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस से ग्रस्त रहे हैं :

.....

या

3(ख). कोई अन्य रोग अथवा दुर्घटना जिसमें बिस्तर पर आराम तथा चिकित्सा अथवा सर्जिकल इलाज की आवश्यकता पड़ी हो :

.....

.....

5. क्या पिछले वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर आपको कोई सेवा/पद आबंटित किया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

.....

क्या आपने उक्त सेवा/पद पर कार्यभार ग्रहण किया

.....

5.1 क्या आप किसी स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हैं? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें

.....

6. अपने परिवार से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :-

पिता की आयु, यदि जीवित हों तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति	मृत भाइयों की संख्या, उनकी उम्र और मृत्यु का कारण	माता की आयु, यदि जीवित हों तथा स्वास्थ्य की स्थिति	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या, उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति	मृत बहनों की संख्या, उनकी उम्र और मृत्यु का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुक्रमांक.....(सीएमएसई 2022)

वर्तमान पता.....

.....

मोबाइल नं. ई-मेल आईडी पिता/संरक्षक का मोबाइल नं.....

पहचान के चिन्ह.....

7. पहले आयोजित हुई किसी चिकित्सा जांच, यदि कोई हो, का विवरण :-

(क) मेडिकल बोर्ड का स्थान और तारीख

(ख) किस सेवा(ओं)/पद(दों) के लिए जांच की गई और परीक्षा का वर्ष

(ग) मेडिकल बोर्ड परीक्षण का परिणाम, यदि आपको इसकी सूचना प्रदान की गई हो अथवा आपको इसकी जानकारी हो

.....

8. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना में किसी तथ्यात्मक विकृति अथवा संगत तथ्यात्मक सूचना को छिपाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। असत्य सूचना प्रदान करने अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और इस कारण मुझे सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। मैं, सीएमएसई-2022 नियमावली के प्रावधानों से भली-भांति अवगत हूं। यदि मेरे सेवाकाल के दौरान कभी भी यह तथ्य सामने आता है कि असत्य सूचना प्रदान की गई है अथवा किसी तथ्यात्मक सूचना को छिपाया गया है तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

दिनांक और बोर्ड की मुहर सहित

(ख)(उम्मीदवार का नाम) के बारे में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट
(स्वास्थ्य परीक्षक केवल निशान न लगाएं, बल्कि दिए गए स्थान में लिखें)

शारीरिक जांच

1. सामान्य विकास : (उत्तम/साधारण/अधम)

.....

पोषण(दुबला/औसत/मोटा).....

ऊंचाई(बिना जूतों के).....(सें.मी.)

वजन.....किलोग्राम.

तापमान: डिग्री से.

छाती की माप:-

(i) (छाती फुलाकर).....सें.मी.

(ii) (छाती फुलाए बिना).....सें.मी.

2. त्वचा- कोई स्पष्ट रोग.....

.....

3. नेत्र

i. कोई रोग.....

ii. रतौंधी.....

iii. वर्ण दृष्टि दोष(कलर विजन)(उच्चतर ग्रेड/निम्न ग्रेड)

iv. दृष्टि दूरी.....

.....प्रणाली.....

v. बाइनोकुलर विजन.....

vi. फंडस जांच.....

.....

विजुलअल एक्युइटी

एक्युइटी ऑफ विजन		चश्मे के बिना	चश्मा सहित	चश्मे की क्षमता (स्ट्रेंथ)		
				स्फेरिकल	सिलिंड्रिकल	एक्सिस
दूर दृष्टि						
	दाईं आंख					
	बाईं आंख					
निकट दृष्टि						
	दाईं आंख					
	बाईं आंख					
हाइपरमेट्रोपिया (मैनिफेस्ट)						

	दाईं आंख					
	बाईं आंख					

4. कान :

परीक्षण.....

श्रवण..... दायां कान.....

बायां कान.....

5. ग्रंथियां..... थाइरॉयड.....

6. दांतों तथा मसूड़ों की स्थिति

7. श्वसन तंत्र : क्या बाहरी जांच से श्वसन अंगों में कुछ असामान्यता दिखाई पड़ती है?

यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें.....

8. परिसंचरण तंत्र :

(क) हृदय : कोई ऑर्गेनिक लीजन ?

गति /मिनट

खड़े रहने पर /मिनट

25 बार कूदने के बाद..... /मिनट

कूदने के 2 मिनट के बाद..... /मिनट

(ख) रक्त चाप : सिस्टोलिक

एचजी का एमएम

डायस्टोलिक

एचजी का एमएम

9. पेड़ू: माप सें.मी.

हर्निया.....

(क) पैलपेबल :

यकृत..... प्लीहा.....

वृक्क.....

9.(ख) हेमरॉयड्स.....

फिस्टूला.....

10. स्नायुतंत्र : स्नायु संबंधी अथवा मानसिक

निःशक्तता के संकेत.....

(क) मोटर

(ख) सेंसरी

11. लोको मोटर सिस्टम : कोई असामान्यता.....

12(क). जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम : हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई प्रमाण

मूत्र विश्लेषण : (प्रयोगशाला नंबर)

(क) देखने में कैसा है

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी

(ग) एल्ब्यूमिन

(घ) शर्करा.....

(ड.) कास्ट्स.....

(च) कोशिकाएं.....

12(ख). * प्रसूति रोग विज्ञान जांच(केवल महिला उम्मीदवारों के लिए)

डॉक्टर के हस्ताक्षर

कोई मास (स्पष्ट करें).....

(13) छाती की एक्स-रे जांच की रिपोर्ट (एक्स-रे रिपोर्ट सं.....)

14. उम्मीदवार जिस सेवा का है, उसमें कुशल कर्तव्य निर्वहन हेतु अनफिट घोषित किए जाने का कोई कारण अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में है?

नोट : 'महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह गर्भवती है तो उसे अधिसूचना के विनियम के अनुसार अस्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाना चाहिए।'

15. जिन सेवाओं के संदर्भ में उम्मीदवार को कुशल तथा निरंतर कर्तव्य निर्वहन के लिए अर्हक पाया गया है उन पर स्पष्ट रूप से ✓ का निशान लगाया जाए और जिन सेवाओं/पदों के लिए उसे अनफिट माना गया है, यदि कोई हो, उन पर x का निशान लगाया जाए:-

i) भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा(एडीएमओ)

ii) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ड्यूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी

iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद(जीडीएमओ)

iv) दिल्ली नगर निगम(जीडीएमओ ग्रेड-II)

क्या उम्मीदवार फील्ड सेवा के लिए उपयुक्त है.....

नोट : बोर्ड अपने निष्कर्ष अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रमाण-पत्र में दर्ज करे

प्रमाण पत्र

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा-2022 के उम्मीदवार श्री _____, अनुक्रमांक _____

अपनी प्रथम चिकित्सा जांच/पुनर्जांच के लिए.....(तारीख) को उपस्थित हुए और उन्हें निम्नानुसार पाया गया है :

- | | | |
|-------|--|---|
| (i) | फिट..... | } (कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह कॉलम 14 के निष्कर्षों से मेल खाए।) |
| (ii) | के कारण अनफिट | |
| (iii) | के कारण अस्थायी रूप से अनफिट | |
| (iv) | बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) के मामले में विकलांगता की श्रेणी/उप श्रेणी का उल्लेख करें अर्थात् ओए, ओएल, बीएल आदि(कृपया, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट-III का अवलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, चिन्हित सेवाओं के कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं।) | |

सदस्य के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

यदि को-ऑप्ट किया गया हो

सदस्य के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

सदस्य के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-I

I. उच्चतर ग्रेड वर्णाभास(कलर परसेप्शन) की आवश्यकता वाली तकनीकी सेवाएं और पद

i) भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा(एडीएमओ)

II. निम्न ग्रेड वर्णाभास(कलर परसेप्शन) की आवश्यकता वाली तकनीकी सेवाएं और पद

(अथवा त्रुटिपूर्ण उच्चतर ग्रेड वर्णाभास- डीएचजीसीपी)

ii) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ड्यूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी

iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद(जीडीएमओ)

iv) दिल्ली नगर निगम(जीडीएमओ ग्रेड-II)

सदस्य के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

यदि को-ऑप्ट किया गया हो

सदस्य के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

सदस्य के हस्ताक्षर

और मुहर

(नाम सहित)

दिनांक :

स्थान :

परिशिष्ट-ix

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक, ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला, ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2023

RULES

No. A.12011/1/2023-CHS-I.—The rules for a Competitive Examination for the Combined Medical Services to be held by the Union Public Service Commission in 2023 for the purpose of filling vacancies in the following services/posts, are with the concurrence of Ministries/Departments concerned Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Council, published for general information:-

Category-I

Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers Sub-cadre of Central Health Service

Category-II

(a) Assistant Divisional Medical Officer in the Railways.

(b) General Duty Medical Officer in New Delhi Municipal Council.

(c) General duty Medical Officer Gr-II in Municipal Corporation of Delhi.

All candidates (male/female/transgender) are requested to carefully read these Rules and the examination notice of the UPSC derived from these Rules.

The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The date(s) on which and the place(s) at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

2. A candidate may compete in respect of anyone or more of the services/posts mentioned above. A candidate who qualifies on the results of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the Detailed Application Form the services/posts for which he/she wishes to be considered in the order of preferences. The candidate is advised to indicate his/her preferences as he/she wishes so that having regard to his/her rank in order of merit due consideration can be given to his/her preferences while making appointments. While indicating preference a candidate shall have to indicate choice between Category I and Category II first duly keeping in view the eligibility for the two categories of posts/services in terms of Rule 5(a)&(b) below. Subsequently the candidate will also indicate preferences among services/ posts of Category II. Candidates will be recommended by the Commission based on the preference of categories given by them in the Detailed Application Forms, order of merit and number of vacancies

- (i) Candidates are advised to examine their eligibility for both categories carefully while exercising preferences of categories and services in terms of Rules 5(a)&(b).
- (ii) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her Detailed Application Form will be entertained by the Commission/Ministry of Health & Family Welfare.
- (iii) Once cadre has been allocated to a candidate, no request for change of cadre shall be entertained by the Commission/Ministry of Health & Family Welfare.

3. The number of vacancies to be filled on the basis of results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. A candidate be either:

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Nepal, or
- (iii) a subject of Bhutan, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or East African Countries of Kenya, Uganda, The United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or from Vietnam with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for this examination must not have attained the age of 32 years as on 1st August, 2023 i.e. he must have been born not earlier than 2nd August, 1991. However, for Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers Sub-cadre of Central Health Service, the upper age limit must not exceed 35 (thirty five years) as on 1st August, 2023.

(b) The upper age- limit is relaxable as follows:

- (i) Up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.
- (ii) Up to a maximum of three years in the case of candidate belonging to Other Backward Classes who are eligible for reservation applicable to such candidates.

- (iii) Up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.
- (iv) Up to a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2023 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 2023 otherwise than by ways of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency), or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment.
- (v) Up to a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2023 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for Civil Employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.
- (vi) Up to a maximum of ten years in the case of Persons with Benchmark Disability viz. (a) blindness and low vision, (b) deaf and hard of hearing, (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst person under clauses (a) to (d) of Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 including deaf-blindness.

Note I- Candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 5 (b) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen, and Persons with Benchmark Disability will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

Note II- The details of Functional Classification (FC) and Physical Requirements (PR) of each service are indicated in Appendix IV of these Rules which are identified and prescribed by the respective Cadre Controlling Authorities (CCAs) as per the provisions of Section 33 and 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Only those category (ies) of disability (ies) mentioned in Appendix IV shall apply for the examination under Persons with Benchmark Disability (PwBD) Category. Therefore, the candidates belonging to the Persons with Benchmark Disability categories are advised to read it carefully before applying for the examination.

Note III- The term Ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note IV- The age concession under Rule 5(b) (iv) and (v) will be admissible to Ex-servicemen i.e. a person who has served in any rank whether as combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension.

Note V- Notwithstanding the provision of age-relaxation under Rule 5(b)(vi) above, a Person with Benchmark Disability will be considered to be eligible for appointment only if he/she after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to the Persons with Benchmark Disability by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(c) The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The Expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this Part of the instructions include the alternative certificates mentioned above.

Note 1:- Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/ Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 2:- Candidates should also note that once a date of birth has been submitted by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any other Examination of the Commission on any ground whatsoever.

Provided that in case of an inadvertent/ unintentional/typographical error committed by a candidate in indicating the date of birth in the Online Application Form, the candidate may make a request to the Commission for subsequent rectification along with supporting documents, as specified in the Rule 5 (3) of the Examination Rule and the request may be considered by the Commission, if the same is made within a definite time frame as may be notified by the Commission in its Notice for the Examination.

6. A candidate must have passed the written and practical part of the final M.B.B.S. Examination.

Note 1: A candidate who has appeared/or is yet to appear at the final M.B.B.S. Examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the written and practical parts of the final M.B.B.S. Examination along with the Detailed Application Form which will be required to be submitted to the Commission by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination. Such proof of passing the requisite examination should have been issued latest by the closing date of Detailed Application Form of the Combined Medical Services Examination, 2023.

Note 2: A candidate who has yet to complete the compulsory rotating internship is educationally eligible for admission to the examination but on selection he/she will be appointed only after he/she has completed the compulsory rotating internship.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/ appearing at the examination their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination and Interview Test will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate shall be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission.

11(1). A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(a) Obtaining support for candidature by the following means, namely:-

- (i) offering illegal gratification to; or
- (ii) applying pressure on; or
- (iii) blackmailing or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

(b) impersonation; or

(c) procuring impersonation by any person; or

(d) submitting fabricated / incorrect documents or documents which have been tampered with; or

(e) uploading irrelevant or incorrect photo/ signature in the application form in place of actual photo/signature; or

(f) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(g) resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely :-

- (i) obtaining copy of question paper through improper means; or

- (ii) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination; or
- (iii) influencing the examiners; or
- (h) being in possession of or using unfair means during the examination; or
- (i) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
- (j) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (k) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or
- (l) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched-off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched-off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or
- (m) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (n) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

in addition to being liable to criminal prosecution, shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period :-

- (i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
- (ii) by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government;

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :-

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.

(2) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the clause (n) above.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test:

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or Economically Weaker Sections or Persons with Benchmark Disability may be summoned for an interview for personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (1) After interview the Commission will prepare two separate merit lists - one for Category I i.e. the Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers Sub-cadre of Central Health Service and the other for Category II i.e. Non-CHS (viz. Ministry of Railways, New Delhi Municipal Council, Municipal Corporation of Delhi) on the basis of the ranks/preferences of the candidates and vacancies. For preparation of result, the candidates shall be arranged by the Commission in the order of merit on the basis of aggregate marks finally awarded to each candidate in the Examination. Thereafter, the Commission, based on the preference exercised by the candidates, shall recommend candidates to both Categories in order of respective merit for each category. The Commission shall for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix separate qualifying marks (hereinafter referred to as general qualifying standards) with reference to the number of unreserved vacancies to be filled up in CHS and other remaining Services/Posts on the basis of the Examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability against reserved vacancies the Commission may relax the qualifying standards with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or selection criteria, at any stage of the Examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability but shall in the first instance be recommended by the Commission against the unreserved vacancies.

Note: The facility of scribe alongwith compensatory time which is available for eligible candidates belonging to PwBD category and the disability of such candidates which he is suffering from in respect of Medical Fitness, shall not be treated as relaxation/concession.

(2) While making service allocation for the Services/posts in Category II the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(3) For preparation of the merit list for the services/posts in Category II, the Commission may further lower the qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the provisions of this rule, the Commission may make the recommendations in the manner prescribed in sub-rules (4) and (5).

(4)(a)(1) While recommending the candidates for the services/posts in Category-II the Commission shall in the first instance, take into account the total number of vacancies of Category-II only. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability who acquire the merit at or above the fixed general qualifying standards for these services/posts without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso to sub-rule (1).

(4)(a)(2) While exercising the method defined in sub-rule (4)(a)(1), due consideration may be taken to secure the vacancy(ies) for PwBD candidates expected to be recommended from Reserve List and if required, the total number of recommended candidates shall be reduced appropriately in addition to reduction as per sub-rule (4)(a)(1).

(4)(b) Along with this list of recommended candidates for the services/posts in Category-II only, the Commission shall also maintain a consolidated reserve list of candidates which will include candidates from general, reserved categories and PwBD category, ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. The reserve list so maintained shall be treated as confidential till the process of recommendation(s) in term of sub-rule (5) is finally concluded by the Commission. The number of in each of these categories will be equal to the number of reserved category candidates who were included in the first list without availing of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub-rule(1) and reduction in recommendation against unreserved vacancy(ies), if any, in light of sub-rule (4)(a)(2).

(4)(c) Amongst the reserved categories, the number of candidates from each of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Persons with Benchmark Disability categories in the reserve list will be equal to the respective number of vacancies reduced initially in each category while recommending candidates in the first instance as per sub rule (4)(a)(1) and (4)(a)(2).

(5) The candidates recommended in terms of the provisions of sub-rule (4), shall be allocated by the Government to the services/posts in Category-II and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requiring it to recommend, in order of merit from the reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of the unfilled vacancies in each category.

(6) No consolidated reserve list will be maintained by the Commission for Category-I as the provisions of sub-rule (2), (3), (4) and (5) above are not applicable for allocation of candidates to Category-I.

14. The minimum qualifying marks as specified under rules 12 and 13 may be relaxable at the discretion of the Commission in favour of Persons with Benchmark Disability in order to fill up the vacancies reserved for them.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the results.

16. Subject to other provisions contained in these rules, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and preference expressed by them for various posts.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate with regard to his/her character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the service. The appointment will be further subject to the candidate satisfying the appointing authority of his/her having satisfactorily completed the compulsory rotating internship.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his/her duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination, as Government or the appointing authority, as the case may be prescribe is found not to satisfy these requirements will not be appointed. The Regulations relating to Physical/Medical Examination of candidates are given in Appendix-III to these Rules. A Medical Board Report Format for medical examination is given at Appendix – VIII.

All candidates who qualify for interview/personality test on the basis of written part of the examination shall be required to undergo the medical examination normally on the next working day immediately after the day of interview/ personality test of the concerned candidate (there shall be no medical examination on Saturdays, Sundays and closed holidays). Arrangements for the complete medical examination including X-Ray of chest of candidates will be made by the Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi and intimation in this regard shall be given by the Ministry to the concerned candidates. In case a candidate does not receive any intimation about the arrangements made for his/her Medical Examination before he/she leaves for his/her interview/personality test he/she should contact personally to the concerned authority in Ministry of Health and Family Welfare immediately after his/her interview/personality test is over. The concerned candidate may have to stay in Delhi until his/her Medical Examination is over, therefore the candidate should take this fact in consideration and make his/her own arrangements for stay in Delhi for the purpose of completion of Medical Examination formality. No extension postponement of the date fixed for the Medical Examination shall be allowed under any circumstances. Also no TA/DA shall be admissible for the purpose of completion of the formality of Medical Examination of the concerned candidate.

To be passed as fit for appointment, a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. A candidate who has been left out on account of medical fitness for limited services and no vacancy being available at his turn cannot be allocated to any service for which he is not fit and where vacancies exists. Candidates declared medically unfit as per medical standards specified in Appendix – III will be left out from the allocation process.

19. For being considered against the vacancies reserved for them the Persons with Benchmark Disability should have disability of forty per cent (40%) or more. However, such candidates shall be required to meet one or more of the physical requirements/abilities indicated in Appendix – IV which may be necessary for performing the duties in the concerned Services/Posts.

20. The eligibility for availing reservation against the vacancies reserved for the Persons with Benchmark Disability shall be the same as prescribed in “The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.” The candidates of Multiple Disabilities will be eligible for reservation under category (e) - Multiple Disabilities only of Section 34(1) of RPwD Act, 2016 and shall not be eligible for reservation under any other categories of disabilities i.e. (a) to (d) of Section 34(1) of RPwD Act, 2016 on account of having 40% and above impairment in any of these categories of PwBD.

Provided further that the Persons with Benchmark Disability shall also be required to meet special eligibility criteria in terms of Functional Classification and Physical Requirements (abilities/disabilities) (FC&PR) consistent with requirements of the identified service/post as may be prescribed by its Cadre Controlling Authority. A list of services identified suitable for Persons with Benchmark Disability alongwith the Functional Classification and Physical Requirements is at Appendix IV.

21. A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belongs is included in the list of reserved communities issued by the Central Government. The candidates will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and in possession of such eligibility certification.

The OBC candidates applying for Combined Medical Services Examination, 2023 must produce OBC (Non-Creamy Layer) certificate based on the income for the Financial Year (FY) 2020-21, 2021-2022 and 2022-2023 and issued on/after 01.04.2023 (after the completion of FY 2022-23) but not later than the closing date of the application for Combined Medical Services Examination, 2023°.

If a candidate indicates in his/her application form for Combined Medical Service Examination that he/she belongs to General Category but subsequently writes to the Commission to change his/her category, to a reserved one, such request shall not be entertained by the Commission. Further, once a candidate has chosen a reserved category, no request shall be entertained for change to other reserved category viz. SC to ST, ST to SC, OBC to SC/ST or ST/ST to

OBC. SC to EWS, EWS to SC, ST to EWS, EWS to ST, OBC to EWS, EWS to OBC. No reserved category candidates other than those who qualified each stage of the Examination on General standard shall be allowed to change (on their request or as decided by the Commission/Government based on the documents submitted by them) their category from reserved to unreserved or claim the vacancies (Service/Cadre) for unreserved category after the declaration of final result by UPSC. In cases where such candidates do not qualify on General Standard, their candidature shall be cancelled.

Further, no Person with Benchmark Disabilities (PwBD) of any sub-category there under shall be allowed to change his/her sub-category of disability.

While the above principle will be followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of a Government Notification enlisting a particular community in the list of any of the reserved communities and the date of submission of the application by the candidate. In such cases the request of change of community from general to reserved may be considered by the Commission on merit. In case of a candidate unfortunately becoming persons with benchmark disability during the course of the examination process, the candidate should produce valid document showing him acquiring a disability to the extent of 40% or more as defined under the RPwD Act, 2016 to enable him to get the benefits of PwBD reservation.

22. “Candidates seeking reservation/relaxation benefits available for SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-servicemen must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the Rules/Notice. They should be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claims as stipulated in the Rules/Notice for such benefits, by the closing date of the application for Combined Medical Services Examination, 2023.”

The EWS candidate applying for CMSE, 2023 must produce an Income and Asset Certificate based on the income of Financial Year (FY) 2022-2023 and issued on/after 01.04.2023 (after the completion of FY 2022-23) but not later than the closing date of the application for Combined Medical Services Examination, 2023.

23. No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;
- shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

24. Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

APPENDIX-I

SCHEME OF EXAMINATION

The examination shall be conducted according to the following plan:-

Part-I

WRITTEN EXAMINATION – (500 marks)

The candidates will take the written examination in two Papers, each Paper carrying a maximum of 250 marks. Each Paper will be of two hours duration.

Part-II

Personality Test: (100 Marks):

Personality test carrying **100 marks** of such of the candidates who qualify on the results of the written examination.

(A) Written Examination:

1. The components and syllabi of two Papers and the weightage to different components in the two papers are given below: -

Paper I	Maximum
(Code No. 1)	Marks: 250

General Medicine and Paediatrics:

Total questions in Paper I = 120 (96 from General Medicine and 24 from Paediatrics);

Syllabus of Paper-I**(a) General Medicine including the following:**

- (i) Cardiology
- (ii) Respiratory diseases
- (iii) Gastro-intestinal
- (iv) Genito-Urinary
- (v) Neurology
- (vi) Hematology
- (vii) Endocrinology
- (viii) Metabolic disorders
- (ix) Infections/Communicable Diseases
 - a) Virus
 - b) Rickets
 - c) Bacterial
 - d) Spirochetal
 - e) Protozoan
 - f) Metazoan
 - g) Fungus
- (x) Nutrition/Growth
- (xi) Diseases of the skin (Dermatology)
- (xii) Musculoskeletal System
- (xiii) Psychiatry
- (xiv) General
- (xv) ***Emergency Medicine***
- (xvi) ***Common Poisoning***
- (xvii) ***Snake bite***
- (xviii) ***Tropical Medicine***
- (xix) ***Critical Care Medicine***
- (xx) ***Emphasis on medical procedures***
- (xxi) ***Patho physiological basis of diseases***
- (xxii) ***Vaccines preventable diseases and Non vaccines preventable diseases***
- (xxiii) ***Vitamin deficiency diseases***
- (xxiv) ***In psychiatry include – Depression, psychosis, anxiety, bipolar diseases and Schizophrenia.***

(b) Paediatrics including the following -

- (i) ***Common childhood emergencies,***
- (ii) ***Basic new born care,***
- (iii) ***Normal developmental milestones,***
- (iv) ***Accidents and poisonings in children,***
- (v) ***Birth defects and counseling including autism,***
- (vi) ***Immunization in children,***
- (vii) ***Recognizing children with special needs and management, and***
- (viii) ***National programmes related to child health.***

Paper II	Maximum
(Code No. 2)	Marks : 250

- (a) Surgery
- (b) Gynaecology & Obstetrics
- (c) Preventive & Social Medicine

Total questions in Paper II = 120 (40 questions from each part.)

Syllabus of Paper - II

- (a) Surgery

(Surgery including ENT, Ophthalmology, Traumatology and Orthopaedics)

(I) General Surgery

- i) Wounds
- ii) Infections
- iii) Tumours
- iv) Lymphatic
- v) Blood vessels
- vi) Cysts/sinuses
- vii) Head and neck
- viii) Breast
- ix) Alimentary tract
 - a) Oesophagus
 - b) Stomach
 - c) Intestines
 - d) Anus
 - e) Developmental
- x) Liver, Bile, Pancreas
- xi) Spleen
- xii) Peritoneum
- xiii) Abdominal wall
- xiv) Abdominal injuries

(II) Urological Surgery

(III) Neuro Surgery

(IV) Otorhinolaryngology E.N.T.

(V) Thoracic surgery

(VI) Orthopedic surgery

(VII) Ophthalmology

(VIII) Anesthesiology

(IX) Traumatology

(X) *Diagnosis and management of common surgical ailments*

(XI) *Pre-operative and post operative care of surgical patients*

(XII) *Medicolegal and ethical issues of surgery*

(XIII) *Wound healing*

(XIV) *Fluid and electrolyte management in surgery*

(XV) *Shock patho-physiology and management.*

(b) **GYNAECOLOGY & OBSTETRICS**

(I) OBSTETRICS

- i) Ante-natal conditions
- ii) Intra-natal conditions
- iii) Post-natal conditions
- iv) Management of normal labours or complicated labour

(II) GYNAECOLOGY

- i) Questions on applied anatomy
- ii) Questions on applied physiology of menstruation and fertilization
- iii) Questions on infections in genital tract
- iv) Questions on neoplasma in the genital tract
- v) Questions on displacement of the uterus
- vi) *Normal delivery and safe delivery practices*
- vii) *High risk pregnancy and management*
- viii) *Abortions*
- ix) *Intra Uterine growth retardation*
- x) *Medicolegal examination in obgy and Gynae including Rape.*

(III) FAMILY PLANNING

- i) Conventional contraceptives
- ii) U.D. and oral pills
- iii) Operative procedure, sterilization and organization of programmes in the urban and rural surroundings
- iv) Medical Termination of Pregnancy

(c) PREVENTIVE SOCIAL AND COMMUNITY MEDICINE

- I Social and Community Medicine
- II Concept of Health, Disease and Preventive Medicine
- III Health Administration and Planning
- IV General Epidemiology
- V Demography and Health Statistics
- VI Communicable Diseases
- VII Environmental Health
- VIII Nutrition and Health
- IX Non-communicable diseases
- X Occupational Health
- XI Genetics and Health
- XII International Health
- XIII Medical Sociology and Health Education
- XIV Maternal and Child Health

- XV National Programmes
- XVI Management of common health problems**
- XVII Ability to monitor national health programmes**
- XVIII Knowledge of maternal and child wellness**
- XIX Ability to recognize, investigate, report, plan and manage community health problems including malnutrition and emergencies.**

2. The written examination in both the papers will be completely of objective (Multiple choice answers) type. The question Papers (Test Booklets) will be set in English only.

3. General Instructions for Examination:

3.1 Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to mark the answers for them. However, the Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected-BA) and cerebral palsy will be eligible for the facility of scribe. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2(r) of the RPwD Act, 2016, such candidates will be eligible for the facility of scribe on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his/her behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix-V.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix – VII.

3.2 The candidates have discretion of opting for his/ her own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Appendix - VI (for Candidate having 40% disability or more) and Appendix – IX (for Candidate having less than 40% disability and having difficulty in writing).

3.3 The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

3.4 The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arm affected-BA) and cerebral palsy will be eligible for Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Person with Benchmark Disabilities, such candidates will be eligible for this facility on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix – V.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-VII.

3.5 Facility of Scribe and/or Compensatory time in eligible candidate will be provided, if desired by them.

Note (1) : The eligibility conditions of a scribe, his/her conduct inside the examination hall and the manner in which and extent to which he/she can help the eligible candidate (as defined above) in writing the Combined Medical Services Examination shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of candidate in addition to any other action that the UPSC may take against the scribe.

Note (2) : The criteria for determining the percentage of visual impairment shall be as follows :—

Better eye Best Corrected	Worse eye Best Corrected	Per Cent Impairment	Disability category
6/6 to 6/18	6/6 to 6/18	0%	0
	6/24 to 6/60	10%	0

	Less than 6/60 to 3/60	20%	I
	Less than 3/60 to No Light Perception	30%	II (One eyed person)
6/24 to 6/60	6/24 to 6/60	40%	III a (low vision)
Or	Less than 6/60 to 3/60	50%	III b (low vision)
Visual field less than 40 up to 20 degree around centre of fixation or heminaopia involving macula	Less than 3/60 to No Light Perception	60%	III c (low vision)
Less than 6/60 to 3/60	Less than 6/60 to 3/60	70%	III d (low vision)
Or	Less than 3/60 to No Light Perception	80%	III e (low vision)
Visual field less than 20 up to 10 degree around centre of fixation			
Less than 3/60 to 1/60	Less than 3/60 to No Light Perception	90%	IV a (Blindness)
Or			
Visual field less than 10 degree around centre of fixation			
Only HMCF	Only HMCF	100%	IV b (Blindness)
Only Light Perception	Only Light Perception		
No Light Perception	No Light Perception		

Note (3): The concession admissible to blind/low vision candidates shall not be admissible to those suffering from Myopia.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or both the papers of the examination.

5. Penalty for wrong answers

There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective type question papers.

- There are four alternatives for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
- If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

6. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers. They should, therefore not bring the same inside the Examination Hall.

7. Both the Papers of the CMSE will be of MBBS standard.

(B) PERSONALITY TEST – (100 marks):

Candidates who qualify in the written examination will be called for Interview/ Personality Test to be conducted by the Union Public Service Commission. The Interview/ Personality Test will carry 100 marks.

The Interview for Personality Test will be intended to serve as a supplement to the written examination for testing the General Knowledge and ability of the candidates in the fields of their academic study and also in the nature of a personality test to assess the candidate's intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind, ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capability for leadership.

Appendix-II

Brief particulars relating to the services/posts to which recruitment is being made through this examination are given below:-

I. Assistant Divisional Medical Officer in the Railways:

- The post of Assistant Divisional Medical Officer in the Indian Railway Health Service is in Group 'A' Junior Scale in level 10 of Pay Matrix Rs. 56100-177500/- and it carries Non-Practising Allowance as per rules/orders in force from time to time. Private practice is prohibited. The candidate will be bound to observe the orders which the Ministry of Railways or any other

competent authority may issue from time to time restricting or prohibiting private practice by him/her.

- (b) A candidate will be appointed on probation for a period of one year which may be extended by the Government if considered necessary. On satisfactory completion of the probation candidates will be eligible for confirmation in the junior scale of the Indian Railway Health Service.
- (c) The appointment of probationers can be terminated by one month's notice in writing on either side during the period of probation in terms of Rule 301 (3) of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I.

Such notice is not however, required in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure after compliance with the provisions of Clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity.

- (d) A candidate will have to undergo training as prescribed by the Ministry of Railways and pass all the Departmental Examinations.
- (e) A candidate will be governed by the "Contributory Pension System" effective from 01-01-20 04 as per orders of the Government.
- (f) A candidate will be eligible for leave in accordance with the leave rules as in force from time to time and applicable to officers of his status.
- (g) A candidate will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with, the rules in force from time to time.
- (h) A candidate will be required to pass the examination in Hindi of an approved standard within the period of probation and failure to do so shall involve liability to termination of service.
- (i) Under the rules every person appointed to the above post shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person:

- (a) Shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of such appointment.
- (b) Shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of 45 years.
- (j) A candidate will be governed in respect of matters specifically referred to above as well as other matter by the provisions of the Indian Railway Establishment Code and the extant orders as amended/issued from time to time.
- (k) A candidate will undergo Foundation Course training initially and after completion of Foundation Course, the candidate may also be posted to the Railway Health Units/Dispensaries at way side stations, ADMOs are also liable to transfer to any Railway.
- (l) Prospects of promotion including pay scale and allowances attached to the higher grades will be as per the provisions of Railway Medical Service Recruitment Rules, 2000 and the orders and instructions issued by the Ministry of Railways from time to time.

- (m) Duties and Responsibilities:

Assistant Divisional Medical Officers:

- (i) He will attend the indoor wards, and out patient department daily and as required.
- (ii) He will carry out physical examination of candidates and of employees in service in accordance with the regulations in force.
- (iii) He will look after family welfare, public health and sanitation in his jurisdiction.
- (iv) He will carry out examination of vendors.
- (v) He will be responsible for discipline and proper discharge of duties of the Hospital Health Unit Staff.
- (vi) He will carry out duties assigned to him specially if any and will prepare returns and indents connected with his speciality.
- (vii) He will maintain and ensure upkeep of equipments in his charge.

Note 1:- When an ADMOs is posted at the Headquarter of a division under the charge of CMS/Addl.CMS/MS Incharge he will assist the CMS/Addl.CMS/MS Incharge in all his duties but may be specially assigned with certain duties and responsibilities.

Note 2:- ADMOs will also be required to perform such other duties as may be assigned to them from time to time.

II. Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers Sub-cadre of Central Health Service:

- (a) The posts are temporary but likely to continue indefinitely. Candidates will be appointed to Junior Group `A` scale and they will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the Competent Authority. They will be confirmed after the satisfactory completion of probation.
- (b) The candidates can be posted anywhere in India in any dispensary or hospital under any organisation participating in the Central Health Service across India. Private Practice of any kind whatsoever including Lab. and consultant practice is prohibited.
- (c) The scale of pay admissible to the Medical Officer of CHS is in the Level-10 (Rs. 56,100 to Rs.1,77,500/-) of the pay matrix and NPA as per orders issued by the Government from time to time, and the promotional avenues will be available as per the provision of CHS Rules, 2014 and the orders and instructions issued by the Government from time to time.

III. General Duty Medical Officer in the New Delhi Municipal Council:

- (a) Pay Matrix Level-10 Rs.56,100-1,77,500/- + restricted Non-practicing allowance (NPA).
- (b) Ordinary rules regarding pensions, gratuity, confirmation etc. as enforced in the Council from time to time will be applicable.
- (c) The candidate will be on probation for a period of two years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the competent authority. On satisfactory completion of the probation period will continue in the temporary capacity till confirmed against the permanent vacancy.
- (d) The candidate can be posted anywhere within the jurisdiction of the N.D.M.C. in any of the hospital/dispensaries/M & C family welfare Centres/Primary Health Centres etc.
- (e) Private practice of any kind whatsoever is prohibited.
- (f) The appointment can be terminated on one month's notice on either side during the period of probation and thereafter, while employed in temporary capacity, NDMC reserves the right to one month's pay in lieu of notice.
- (g) GDMO shall be entitled for promotion as Senior Medical Officer in the Pay Matrix Level-11 Rs.67700-208700/- and from Senior Medical Officer to Chief Medical Officer in the Pay Matrix Level-12 Rs.78800-209200/- and from Chief Medical Officer to Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) in the Pay Matrix Level-13 Rs. 118500-214100/- and Senior Administrative Grade Pay Matrix Level-14 Rs.144200-218200/-.

(IV) General Duty Medical Officer Gr.II in Municipal Corporation of Delhi:

- (i) Salary at the minimum of first cell of Rs.56,100/- in the level 10 of 7th Pay Matrix under 7th CPC (corresponding to pre-revised scale in PB-3 Rs.15600-39100+GP Rs.5400/-) plus NPA and other admissible allowances as per rules.
- (ii) The candidates will be on probation for a period of two year from the date of appointment which may be curtailed or extended at the discretion of the Competent Authority. On satisfactory completion of the probation period, he will continue in the temporary post till confirmed against the permanent vacancy.
- (iii) The candidate can be posted anywhere within the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi in anyone of the Hospital/Dispensaries/M&CW and Family Welfare Centres/Primary Health Centres etc.
- (iv) Private practice of any kind whatsoever is prohibited.
- (v) The appointment can be terminated on one month's notice on either side during the period of probation and thereafter while employed in temporary capacity. The Municipal Corporation of Delhi reserves the right to pay one month's pay in lieu of notice. Prospects of promotion including pay scale and allowances attached to the higher grades shall be according to the provisions of Recruitment Regulations.

Appendix –III**REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL/MEDICAL EXAMINATION OF CANDIDATES:****A. FOR GENERAL/SC/ST/OBC/EWS CANDIDATES :**

The regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their possessing the required physical standards. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners. All posts to be filled on the basis of Combined Medical Services Examination are Group 'A' "Technical" posts. All kinds of notices and information relating to the medical examination of the Transgender candidates including the medical parameters for Transgender candidates for various service(s) would be posted on the dedicated web page of the Ministry of Health & Family Welfare before the commencement of the medical examination of CMSE-2023 after due consultation with all the concerned nodal authorities and all the Cadre Controlling Authorities of the participating service (s) in Combined Medical Services Examination, 2023.

2. (a) The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

(b) To be passed as "fit" for appointment, a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his/her appointment.

(c) In the matter of co-relation of age-limit, height, weight and chest girth of candidates of India (including Anglo-Indian race), it is left to the Medical Board to use whatever co-relation of figure is considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. Trunk and limbs should be proportionate, no minimum height be insisted upon, if found fit otherwise. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be hospitalized for investigation and X-Ray of the chest taken before the candidate is declared fit or unfit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows:-

He/She will remove his/her shoes and be placed against the standard with his/her feet together and the weight thrown on the heels and not on the toe or other sides of the feet. He/She will stand erect without rigidity and with heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeters and parts of a centimeter to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :-

He/She will be made to stand erect with his/her feet together and to raise arms over his/her head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape the candidate will then be directed to take a deep respiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters 84-89, 86-93.5 etc. in recording the measurement fractions of less than half a centimeter should not be noted.

N.B.- The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

The candidates will also be weighed and his/her weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

5. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded:

(i) **General-** The candidate will be directed to a general examination to the detection of any disease or abnormality of his eyes. The candidate will be rejected if he suffers from any morbid conditions of eye(s), eyelids or contiguous structure of such a sort as to render or are likely to render him/her unfit for service on a future date.

(ii) **Visual Acuity-** The examination for determining the acuteness of visions includes two tests- one for distant and the other for near vision. Each eye will be examined separately.

(b) There shall be no limit for maximum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses for different types of services:

Class of Service					
Indian Railway Health Service (Technical)				Service other than IRHS(Technical)	
		Better eye	Worse eye	Better eye (corrected vision)	Worse eye
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Distant Vision		6/6 or 6/9	6/9 or 6/12	6/6 or 6/9	6/12, 6/18 or Nil
2. Near Vision		J1	J2	J1 J2	J2, J3 or Nil
3. Type of Correction Permitted		Spectacles, IOL/corneal surgeries viz. (LASIK, excimer surgeries etc.) may be permitted. Vision should be stable and should come up to the required standard. Ophthalmic Board to clear fitness. The Surgery should have been done at least one year previously.			Spectacles, IOL LASIK laser surgery
4. Limits of refractive error permitted		±4.00D In case where power of lens is >-4D, a special ophthalmic Medical Board to clear the case ruling out Pathological Myopia		Fundus is normal and without pathological Myopia	
5. Colour vision Requirements		Higher grade colour perception (Ishihara test EGL—1.3 mm aperture)		Low Grade Colour vision is acceptable.	
6. Whether binocular vision needed?		Binocular vision is necessary in case of squint. In deserving cases, a special Ophthalmic Medical Board to clear cases on case-to-case basis.		No	

(d) (i) In respect of the Technical Services mentioned above and any other service concerned with the safety of public the total amount of Myopia(including the cylinder) shall not exceed -4.00 D total amount of Hypermetropia(including the cylinder) shall not exceed +4.00 D:

Provided that in case a candidate in respect of the “Technical” services is found unfit on ground of high myopia, the matter shall be referred to a Special Board of three ophthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not in case it is not pathological, the candidate shall be declared fit provided he/she fulfils the visual requirements otherwise.

(ii) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

(e) Field of Vision: The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) Night Blindness: Broadly there are two types of night blindness: (i) as a result of Vitamin A deficiency and (ii) as a result of Organic disease of Retina-common cause being *Retinitis Pigmentosa*. In (i) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill-nourished persons and improves by large doses of Vitamin A. In (ii) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The Patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. For both (i) and (ii) dark adaptation test will reveal the condition. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. For both (i) and (ii) dark adaptation test will reveal the condition.

(g) Colour Vision : The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned above.

Colour perception should be graded into higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below: -

Grade	Higher Grade Colour Perception	Lower Grade Colour Perception
1. Distance between the lamp and the candidate.	16 ft	16 ft
2. Size of aperture	1.3 mm	13 mm
3. Time of exposure	5 seconds	5 seconds

For Indian Railway Health Service Higher Grade colour vision is essential but for other services lower grade colour vision will be considered sufficient.

Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of Signal red, Signal Green and White Colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable Edrige Green's Lantern shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the services other than IRHS, it is essential to carry out the lantern test for IRHS. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed. However, both the Ishihara's plates and Edrige Green's Lantern shall be used for testing colour vision of the candidates for appointment to the Indian Railway Health Service.

(h) Ocular condition other than visual acuity :

- (i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering visual acuity, should be considered a disqualification.
- (ii) Squint: For Indian Railway Health Service where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the vision acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services, the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.
- (iii) If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is amblyopic or has subnormal vision the usual effect is that the person is lacking stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not a disqualification for services other than IRHS. The Medical Board may recommend as fit, such persons:-

Provided the normal eye has 6/6 distant vision. J1 near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptries for distant vision.

full field of vision.

normal colour vision wherever required:

provided the board is satisfied that the candidate can perform all functions for the particular job in question.

- (iv) **Contact Lenses:** During the Medical Examination of the candidates, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests the illumination of the typed lettes for distant vision should have an illumination of 15 foot candles.

GUIDELINES FOR SPECIAL OPHTHALMIC BOARD

Special Ophthalmic Board for eye examination shall consist of 3 ophthalmologists:

- (a) Cases where the Medical Board has recorded visual function within normal prescribed limits but suspects a disease of progressive and organic nature which is likely to cause damage to the visual function should refer the candidates to a Special Ophthalmic Board for opinion as part of the first Medical Board.
- (b) All cases of any type of surgery on eyes, IOL, refractive corneal surgery, doubtful cases of colour defect should be referred to special ophthalmic board.
- (c) In such cases where a candidate is found to be having high myopia or high hypermetropia the Central Standing Medical Board/State Medical Board should immediately refer the candidates for a Special Board of three Ophthalmologists constituted by the Medical Superintendent of the hospital with the Head of the Department of Ophthalmology of the Hospital or the Seniormost Ophthalmologist as the Chairman of the Special Ophthalmic Board. The Ophthalmologist/Medical Officer who has conducted the preliminary ophthalmic examination cannot be a part of the Special Board.

The examination by the Special Board should preferably be done on the same day. Whenever it is not possible to convene the Special Board of three Ophthalmologists on the day of the medical examination by the Central Standing Medical Board/State Medical Board, the Special Board may be convened at an earliest possible date.

The Special Ophthalmic Board may carry out detailed investigations before arriving at their decision.

The Medical Board's report may not be deemed as complete unless it includes the report of the Special Medical Board for all such cases which are referred to it.

GUIDELINE FOR REPORTING ON BORDER LINE UNFIT CASES

In border line cases of substandard visual acuity, subnormal colour vision, the test will be repeated after 15 minutes by the Board before declaring a person unfit.

6. Blood Pressure: The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :

- (i) with young subjects of 15-25 years of age, the average is about 100 plus the age.
- (ii) with subjects over 25 years of age, the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B--As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalized by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as routine. The final decision as to fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure: - The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his/her arm are relaxed, he may be either lying or sitting and the arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the cloth to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following returns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sound will be heard to increase in intensity. The level at which the well heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the reading. Rechecking if necessary should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. Sometimes as the cuff is deflated sounds heard at a certain level may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This silent gap may cause error in readings.

7. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in candidate's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note down any signs or symptoms

suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidates as fit, subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified Specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his/her disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations, clinical and/or laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his/her opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". For this purpose the candidates will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effect of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

8. For appointment against posts which do not prescribe any elaborate training : It shall no longer be necessary to declare a woman candidate as "Temporarily Unfit" if she is found to be pregnant during medical examination before appointment against posts which do not prescribe any elaborate training, i.e., she can be appointed straightaway on the job.

For posts/services that prescribe a training prior to joining working post a women candidate who as a result of test is found to be pregnant should be declared temporary unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from registered medical practitioner.

9. The following additional points should be observed : -

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by an ENT Specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of IRHS. The following are the guidelines for the medical examination authority in this regard :

	Indian Railways (Technical)	Health Services	Services other than IRHS (Technical)
1. Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Unfit		Fit, if the deafness is up to 30 decibel in higher frequency.
2. Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit, if the deafness is up to 30 decibel in speech frequencies of 1000-4000.		Fit, if the deafness is up to 30 decibel in speech frequencies of 1000-4000.
3. Perforation of tympanic membrane of central or marginal type.	(i) One ear normal, other ear having perforation of tympanic membrane- 'Temporary Unfit'. Under improved conditions of Ear Surgery, a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears- 'Unfit'. (iii) Central perforation in both ears- 'Temporarily Unfit'.		(i) One ear normal, other ear having perforation of tympanic membrane- 'Temporarily Unfit'. Under improved conditions of Ear Surgery, a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears- 'Unfit'. (iii) Central perforation in both ears- 'Temporarily Unfit'.
4. Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing and other ear with mastoid cavity- 'Fit' (ii) Mastoid cavity of both sides- 'Unfit'		(i) Either ear normal hearing and other ear with mastoid cavity- 'Fit' (ii) Mastoid cavity of both sides- 'Unfit'

5.	Persistently discharging ear operated/unoperated.	‘Temporarily Unfit’.	‘Temporarily Unfit’.
6.	Chronic inflammatory/allergic condition of nose with or without bony deformities of nasal Septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with Symptoms-‘Temporarily Unfit’	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with Symptoms-‘Temporarily Unfit’
7.	Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx-‘Fit’. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then-‘Temporarily Unfit’.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx-‘Fit’. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then-‘Temporarily Unfit’.
8.	Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours-‘Temporarily Unfit’. (ii) Malignant Tumour-‘Unfit’.	(i) Benign tumours-‘Temporarily Unfit’. (ii) Malignant Tumour-‘Unfit’.
9.	Otosclerosis	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid-‘Fit’.	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid-‘Fit’.
10.	Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions-‘Fit’. (ii) Stuttering of severe degree-‘Unfit’.	(i) If not interfering with functions-‘Fit’.
11.	Nasal/Poly	‘Temporarily Unfit’.	‘Temporarily Unfit’.

- (b) that his/her speech is without impediment;
- (c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);
- (d) that the chest is well formed and his/her chest expansion sufficient and that the hearts and lungs are sound;
- (e) that there is no evidence of any abdominal disease;
- (f) that the ear-drum is not ruptured;
- (g) that he/she does not suffer from hydrocele, varicose veins or piles;
- (h) that his/her limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;
- (i) that he/she does not suffer from any inveterate skin disease;
- (j) that there is no congenital malformation or defect;
- (k) that he/she does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;
- (l) that he/she bears marks of efficient vaccination; and
- (m) that he/she is free from communicable disease.

10. Radiographic examination of the Chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination in respect of such candidates who are declared finally successful in Combined Medical Services Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the candidate concerned) about the fitness of the candidate shall be final.

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government

Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

2 When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his/her opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties, which will be required of the candidate.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given. It may be noted that a candidate when suffering from a curable disease can be declared temporarily unfit by the first Medical Board only. The Medical re-examination shall be deemed to be part of the 1st Medical Examination and candidates may, if they desire, appeal against its decision. The appellate Medical Board has to come to a final decision and state clearly whether a candidate is fit or unfit, a candidate cannot be declared temporarily unfit on the basis of the appellate medical examination.

11. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs.100.00 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise request for second Medical Examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical Examination by the Appellate Medical Board would be arranged in New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the Medical Examination. The decision of the Appellate Medical Board will be final and no appeal shall be against the same.

B. FOR CANDIDATES OF CATEGORY OF PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY AS PER RPwD Act 2016 :

The regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their possessing the required physical standards. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners. All posts to be filled on the basis of Combined Medical Services Examination are Group 'A' "Technical" posts.

2. (a) The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.
- (b) To be passed as "fit" for appointment, a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his/her appointment.
- (c) In the matter of co-relation of age-limit, height, weight and chest girth of candidates of India (including Anglo-Indian race), it is left to the Medical Board to use whatever co-relation of figure is considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. Trunk and limbs should be proportionate, no minimum height be insisted upon, if found fit otherwise. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be hospitalized for investigation and X-Ray of the chest taken before the candidate is declared fit or unfit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows:-

He/She will remove his/her shoes and be placed against the standard with his/her feet together and the weight thrown on the heels and not on the toe or other sides of the feet. He/She will stand erect without rigidity and with heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeters and parts of a centimeter to halves.

1. The candidate's chest will be measured as follows :-

He/She will be made to stand erect with his/her feet together and to raise arms over his/her head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to

displace the tape the candidate will then be directed to take a deep respiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters 84-89, 86-93.5 etc. in recording the measurement fractions of less than half a centimeter should not be noted.

N.B.- The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

The candidates will also be weighed and his/her weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

2. **Locomotor Disability** : Candidates with 40-80% disability are eligible for **PwBD** quota. Persons with more than 80% disability are allowed on case to case basis, if and only if, there is an improvement in the functional competence with the aid of assistive devices. Or in other words, disability is brought down below 80% as required to perform the necessary functions to be certified so by a designated Special Board.

In case of leprosy cured persons, attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations is looked at.

In case of Cerebral palsy, attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc and corresponding recommendations be looked at.

For IRHS : Existing Locomotor disability for PwBD only with functional classification of OA, OL and BL in direct recruitment of ADMOs in IRHS through CMSE.

Visual Disability :

Candidates with visual acuity disability in range of more than 40% disability are eligible, subject to the condition that the visual disability is brought down to a level of less than the benchmark of 40% with the advanced low vision aids and appliances.

This is to be certified so by a designated Special Board.

Visual Acuity:

IRHS: Candidates with Visual Acuity are not suitable to man posts of ADMOs in IRHS.

Colour Vision :

IRHS: Candidates with Colour Vision defects are not suitable to man posts of ADMOs in IRHS.

3. **Hearing Disability** : Candidates with more than 40% disability to be considered eligible, subject to the condition that the hearing disability is brought down to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices as certified so by a designated Special Board.

In addition to this, individual should have a speech discrimination score of more than 60%.

IRHS: Candidates with Hearing disability are not suitable to man posts of ADMOs in IRHS.

4. **Other Disabilities (Autism, Intellectual disabilities, Specific Learning Disabilities and Mental Illness) :**

INTELLECTUAL DISABILITY:

i. Autism – Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness.

ii. Specific Learning disability: Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80% will be eligible. But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/assisted technology/aids/infrastructural changes by the Expert Panel. [Currently, there is no quantification scale available to assess the severity of Specific Learning Disability. Therefore, the cut off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.

MENTAL ILLNESS:

Currently not recommended due to lack of objective method to establish present and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessments.

Autism and Intellectual Disability :

IRHS: Candidates with Autism and Intellectual Disabilities are not suitable to man posts of ADMOs in IRHS.

GUIDELINES FOR SPECIAL OPHTHALMIC BOARD

Special Ophthalmic Board for eye examination shall consist of 3 ophthalmologists:

- a) Cases where the Medical Board has recorded visual function within normal prescribed limits but suspects a disease of progressive and organic nature which is likely to cause damage to the visual function should refer the candidates to a Special Ophthalmic Board for opinion as part of the first Medical Board.
- b) All cases of any type of surgery on eyes, IOL, refractive corneal surgery, doubtful cases of colour defect should be referred to special ophthalmic board.
- c) In such cases where a candidate is found to be having high myopia or high hypermetropia the Central Standing Medical Board/State Medical Board should immediately refer the candidates for a Special Board of three Ophthalmologists constituted by the Medical Superintendent of the hospital with the Head of the Department of Ophthalmology of the Hospital or the Seniormost Ophthalmologist as the Chairman of the Special Ophthalmic Board. The Ophthalmologist/Medical Officer who has conducted the preliminary ophthalmic examination cannot be a part of the Special Board.

The examination by the Special Board should preferably be done on the same day. Whenever it is not possible to convene the Special Board of three Ophthalmologists on the day of the medical examination by the Central Standing Medical Board/State Medical Board, the Special Board may be convened at an earliest possible date.

The Special Ophthalmic Board may carry out detailed investigations before arriving at their decision.

The Medical Board's report may not be deemed as complete unless it includes the report of the Special Medical Board for all such cases which are referred to it.

GUIDELINE FOR REPORTING ON BORDER LINE UNFIT CASES

In border line cases of substandard visual acuity, subnormal colour vision, the test will be repeated after 15 minutes by the Board before declaring a person unfit.

5. **Blood Pressure:** The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :

- a) with young subjects of 15-25 years of age, the average is about 100 plus the age.
- b) with subjects over 25 years of age, the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B--As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalized by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as routine. The final decision as to fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure: - The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his/her arm is relaxed, he may be either lying or sitting and the arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the cloth to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following returns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sound will be heard to increase in intensity. The level at which the well heard clear sounds change to soft muffed fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the reading. Rechecking if necessary should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. Sometimes as the cuff is deflated sounds heard at a certain level may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This silent gap may cause error in readings.

6. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in candidate's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note down any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidates as fit, subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified Specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his/her disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations, clinical and/or laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his/her opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". For this purpose the candidates will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effect of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.
7. For appointment against posts which do not prescribe any elaborate training : It shall no longer be necessary to declare a woman candidate as "Temporarily Unfit if she is found to be pregnant during medical examination before appointment against posts which do not prescribe any elaborate training, i.e., she can be appointed straightaway on the job.

For production of a medical certificate of fitness from registered medical posts/services that prescribe a training prior to joining working post a women candidate who as a result of test is found to be pregnant should be declared temporary unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the practitioner.

8. Radiographic examination of the Chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination in respect of such candidates who are declared finally successful in Combined Medical Services Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the candidate concerned) about the fitness of the candidate shall be final.

9. In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.
10. When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his/her opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties, which will be required of the candidate.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given. It may be noted that a Candidate when suffering from a curable disease can be declared temporarily unfit by the first Medical Board only. The Medical re-examination shall be deemed to be part of the 1st Medical Examination and candidates may, if they desire, appeal against its decision. The appellate Medical Board has to come to a final decision and state clearly whether a candidate is fit or unfit, a candidate cannot be declared temporarily unfit on the basis of the appellate medical examination.

11. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs.100.00 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise request for second Medical Examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical Examination by the Appellate Medical Board would be arranged in New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the Medical Examination. The decision of the Appellate Medical Board will be final and no appeal shall be against the same.

VANDANA JAIN, Jt. Secy.

Appendix-IV**A list of Services Identified suitable for Persons with Benchmark Disability along with the Functional Classifications and Physical Requirements**

Sl. No.	Name of the Service	Category(ies) for which Identified	Functional Classification	Physical Requirements
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Divisional Medical Officer (ADMO) in Indian Railway Health Services (IRHS)	Locomotor Disability	(i) OA-One arm affected. (ii) OL-One leg affected and (iii) BL-Both legs affected but not arms.	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H S-Sitting, ST-Standing, BN- Bending, W- Walking, SE-Seeing, MF- Manipulation by Fingers, C- Comm-unication, RW- Reading and Writing, H- Hearing.
2.	Medical Officers Grade in Central Duty Medical Officers Sub-cadre of Central Health Service.	(a) Locomotor disability including leprosy cured, dwarfism and acid attack victims (b) Specific Learning Disability (c) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (b)	S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication Incumbent should be considered with aids & appliances, Bilateral hand activities should be adequate.	
3.	General Duty Medical Officer Gr.II in MCD	a) OA, OL, BL, LC, DW, AAV b) SLD c) MD involving (a) to (b) above	NIL	S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C
4.	General Duty Medical Officer in NDMC	Locomotor Disability	OA & OL only (Functional Classification-OH (OA, OL) with leprosy cured, dwarfism, acid attack victims)	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, H S-Sitting, ST-Standing, BN- Bending, W- Walking, SE-Seeing, MF- Manipulation by Fingers, C- Comm-unication, RW- Reading and Writing, H- Hearing.

Appendix – V**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate with benchmark disability), a person with (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o /D/o....., a resident of (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature**Chief Medical Officer/Civil Surgeon /****Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.**

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Appendix – VI

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

(To be filled by the candidates online to the Commission)

I....., a candidate with.....(name of the disability) appearing for the (name of the examination)..... bearing Roll No..... at (name of the centre) in the District, ... (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidates with Disability)

Place:

Date:

Appendix-VII

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate), S/o / D/o, a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged.....yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

- The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.
- This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/PMR Specialist	Clinical psychologist/ Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer Chairperson				

Name of Government Hospital / Health Care Centre with seal

Place :

Date :

Appendix – VIII

Roll No.

MEDICAL BOARD REPORT FORMAT

Rank No.

(To be filled in Triplicate)**For CMSE- 2023**

Photograph with
Roll No. &
Discp. written
on the back

Name of Hospital _____ **Place** _____

(a) Candidate's statement and declaration.

Candidate must make the statement required below in his/her own hand writing prior to his Medical Examination and must sign the declaration 'appended thereto'. Their attention is specially directed to the warning contained in the Para 08 below:-

1. Name in full(in block letters) :

.....

2(a). Age : Date of Birth: Place of Birth:

.....

2(b). Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc, whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the tribe race :

.....

3(a). Have you ever had small-pox intermittent or any fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of Blood, asthma, heart diseases, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis :

.....

Or

3(b). Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment :

.....

.....

3(c). Whether underwent any eye surgery (including Radial Keratotomy / Lasik/ Excimer etc.) at any time. If yes, details thereof :

.....

3(d) (i) whether PwBD candidate - Yes/No

(ii) Mention Sub-category of Disability

.....

(ex. OL, OA, BL, etc.)

4. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other causes

.....

.....

5. Have you been allotted to any service/posts on the basis of previous years exams? If yes, give details thereof

.....

Have you joined the said service/ post

5.1 Are you enrolled for the PG course? If yes, give details thereof.....

6. Furnish the following particulars concerning your family:-

Father's age, if living & state of health	Father's age at death & cause of death	No. of brothers living, their ages & state of health	No. of brothers dead, their ages & cause of death	Mother's age , if living & state of health	Mother's age at death & cause of death	No. of sisters living, their ages & state of health	No. of sisters dead, their ages & cause of death
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....

.....

.....

.....

Present Address.....

Mobile No..... Email ID Mobile No. of
Father/Guardian.....

Identification marks.....

7. Details of medical examination conducted before, if any:-

- (a) Place & Date of Medical Board
- (b) Service(s)/Post(s) for which examined and year of Examination
- (c) Result of Medical Board Examination if communicated or known.

8. All the above answers are to the best of my knowledge & belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me or suppression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. I am fully aware of the provisions of CMSE-2023 Rules. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature

Signed in my presence

Signature of the Chairperson of the Board
with date and stamp of the Board

(b) Report of the Medical Board on (name of candidate)
.....

(Examiner to write and not merely Tick the correct choice)

Physical examination

1. General development: (Good/Fair/Poor)

3. Eyes

i. Any disease

Nutrition

(Thin/Average/Obese)

ii. Night Blindness

Height (without shoes) Cms.

Weight kg

iii. Colour vision (Higher Grade/Lower Grade)

Temperature°C

iv. Field of vision

Girth of chest :-

(i) (After full inspiration) Cms

.....Method.....

(ii) (After full expiration) Cms

v. Binocular vision

2. Skin - Any obvious disease

.....

vi. Fundus Examination

vii. Visual Acuity

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses		
			Spherical	Cylindrical	Axis
Distant Vision					
R.E.					
L.E.					
Near Vision					
R.E.					
L.E.					
Hypermetropia (Manifest)					
R.E.					
L.E.					

4. Ears: Inspection

Hearing Right Ear

Left Ear

5. Glands Thyroid

6. Condition of teeth & gums.....

7. Respiratory System: Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?

If yes, explain fully

8. Circulatory system:

(a) Heart: Any organic lesions?

Rate /Minutes Standing/Minutes

After hopping 25 times/Minutes

Two minutes after hopping/Minutes

(b) Blood Pressure: Systolic mm of Hg

Diastolic mm of Hg

9. Abdomen: Girth Cms

(explain if any finding) Hernia

(a) Palpable:

Liver Spleen

Kidneys

Any Mass

(explain).....

9.(b) Haemorrhoids

.....

Fistula

.....

10. Nervous System: Indications of nervous or mental disabilities

(a) Motor

(b) Sensory.....

11. Loco-Motor System: Any abnormality

.....

12(A) Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine analysis (Lab. No.....)

(a) Physical Appearance

.....

(b) Sp. Gravity

.....

(c) Albumin

.....

(d) Sugar

.....

(e) Casts.....

.....

(f) Cells.....

.....

12(B) *Gyne Examination (for female candidates only)

.....

Sig. of Doctor

13. Report of X-ray examination of chest (X-ray
No.....)

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

.....

NOTE: *In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant, she should be declared temporarily unfit, vide Regulation as per notification.

15. Services for which the candidate has been found qualified for the efficient and continuous discharge of duties may please be indicated clearly by ✓ and services/posts for which he /she is considered unfit if any may also please be indicated clearly by × :-

i) **Indian Railway Health Service (ADMO)**

ii) **Central Health Service (Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers)**

iii) **New Delhi Municipal Council (GDMO)**

iv) **Municipal Corporation of Delhi (GDMO Gr.II)**

Is the candidate fit for field service?

NOTE : The Board should record their findings strictly in the following certificate

CERTIFICATE

Shri _____, Roll No. _____ a candidate of CMSE-2023 who has appeared for his first medical examination/re-examination on (date) is found to be

(i) Fit	} (pl ensure this matches with findings of Column 14 at page 3
(ii) Unfit on account of	
(iii) Temporarily unfit on account of	

(iv) In case of PwBD please mention the category/sub-category of disability i.e OA, OL, BL, etc. (please refer Appendix-III of CMSE Rules and ensure PwBD candidates meet with Functional Classification and Physical Requirements for identified services)

Sign. of Member
with stamp
(containing name)

If co-opted

Sign. of Member
with stamp
(containing name)

Sign. of Chairperson
with stamp
(containing name)

Sign. of Member
with stamp
(containing name)

Date :

Place:

I. Technical Services or posts requiring Higher Grade Colour Perception:-

- i) Indian Railway Health Service (ADMO)

II. Technical Services or posts requiring Lower Grade Colour Perception:-

(or Defective Higher Grade Colour Perception – DHGCP)

- (i) Central Health Service (Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers)
 (ii) New Delhi Municipal Council (GDMO)
 (iii) Municipal Corporation of Delhi (GDMO Gr.II)

Sign. of Member

with stamp

(containing name)

If co-opted

Sign. of Member

with stamp

(containing name)

Sign. of Member

with stamp

(containing name)

Sign. of Chairperson

with stamp

(containing name)

Appendix-IX

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I....., a candidate with
 (nature of disability/condition) appearing for the (name of the
 examination) bearing Roll No..... at (name of the centre) in the
 District, ... (name of the state). My educational
 qualification is

2. I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe
 for the undersigned for taking the aforementioned examination.
3. I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that
 his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to
 the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place :

Date :